नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग–एक

1. (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि में नियन्त्रक व आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहेः–

प्रधानः–

क्रमांक	नाम	अवधि
1.	श्री कुल राकेश पंत	अप्रैल,2015 से मार्च,2016
2.	श्री पवन गुप्ता	अप्रैल,2016 से जून,2017
3.	श्रीमती मीरा आनन्द	जून, 2017 से जुलाई,2017
4.	श्री दविंदर ठाकुर	जुलाई 2017 से लगातार

कार्यकारी अधिकारीः–

क्र0 सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1.	श्री बी0आर0 नेगी	1.04.15 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

नगर परिषद सोलन के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1.	चैक अस्वीकार होने के कारण नगर परिषद को हानि	4 (3)	15.42
2.	स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय से अधिक व्यय करना	5	305.42
3.	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर कम ब्याज की प्राप्ति से वित्तीय हानि	6 (ii)	10.72
4.	दिनांक 31.3.2017 को अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष	7.1	881.93
5.	हि0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1994 में दिए प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर अनाधिकृत रूप से अनियमित व्यय करना	8	157.81
6.	नगर परिषद द्वारा गृह कर अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	9	1321.77
7.	मलवहन कर (Conservancy Tax) की बकाया वसूली	10	266.04
8.	जन स्वास्थ्य विभाग से क्रय किये गये पानी के बिलों के बकाया भुगतान	11 (i)	4241.30
9.	सिंचाई एवं जन जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण नगर परिषद पर अधिभार का अतिरिक्त दायित्व होना	11 (ii)	424.13
10.	सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितनी राशि की जल आपूर्ति की उससे कम राशि के बिलों को जारी करने से वित्तीय हानि	12	828.87
11.	मोबाईल टावर की स्थापना/नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	17	2.32
12.	पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि	19 (i)	18.13
13.	स्टॉलों/दुकानों के किराये की बकाया वसूली	24	116.32

14.	नगर परिषद निधि से पैन्शन भुगतान पर अनियमित व्यय	25	463.80
15.	नगर परिषद निधि से ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान	26	34.07
16.	अग्रिम राशि वसूली हेतु शेष	27	102.74
17.	निर्माण कार्यों में अधिक भुगतान	31	0.49

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक नियन्त्रक, श्री **पुनीश सागर**, अनुभाग अधिकारी **तथा श्री राजीव कुमार, कनिष्ट लेखा परीक्षक** द्वारा दिनांक 20.11.2017 से 3.3.2018 तक नगर परिषद सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 1/16 तथा 11/16 **तथा** व्यय के लेखाओं 6/15 व 12/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद सोलन के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत व अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार से प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹155400 आँका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अधियाचना संख्या 36, दिनांक 2.3.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4 वित्तीय स्थिति :–

4.1 नगर परिषद सोलन के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "I"** के आधार पर निम्नानुसार है।

वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	स्वस्त्रोत	(-)8629142.85	75712863.50	3642004.00	70725724.65	85840639.78	(-)15114915.13
	अनुदान	54374848.00	111184855.00	....	165559703.00	82246053.00	83313650.00
	कुल	45745704.79	186897718.50	3642004.00	236285427.65	168086692.78	68198734.87
2016-17	स्वस्त्रोत	(-)15114915.13	92326325.50	3174146.00	80385556.37	110939244.27	(-)30553687.90
	अनुदान	83313650.00	133843422.00	....	217157072.00	128964537.00	88192535.00
	कुल	68198735.51	22619747.50	3174146.00	297542628.37	239903781.27	57638847.10

4.2 31.3.2017 तक बैंक खातों व सावधि योजना में निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Sr.No.	Name of Bank	Account number	Total Balance as on 31st march-2017
1	Cash in hand		155390.00
2	Axis Bank	11228	152690.20
3	Bank of Baroda	30030100002031	1130.00

4	Canara Bank	1189214000001	384036.00
5	IDBI SOLAN	733104000000019	4953154.10
6	IDBI SOLAN	733104000009942	22740.00
7	Indian overseas Bank.	117	13361.40
8	Bhartiya mahila Bank	101600098976	452128.00
9	SBOP Solan	55080123350	18450740.11
10	SBOP Solan	55080128257	58984.91
11	Jogindra Central Co-op.	16858	40617.00
12	SBOP Solan	55080161476	8723.93
13	HUDCO UCO	11247	246781.03
14	HUDCO UCO	11246	54191.56
15	HUDCO UCO	11245	44570.53
16	HDFC Bank	85	8359185.00
17	Parwanoo urban co-op. Bank	3100	130638.00
18	The Baghat Urban Co-op, Bank	631	48025.50
19	The Baghat Urban Co-op, Bank	1908	37554.00
20	Dena Bank	2663	110776.00
21	IDBI SOLAN	11611	2091357.00
22	IndusInd Bank	100047056472	3997625.47
23	FDR SBOP	0	9250119.00
24	FDR SBOP	0	175282.00
25	FDR Allahabad Bank	0	5000000.00
26	FDR HDFC Bank	0	4242079.00
27	FDR UCO Bank	0	10369421.00
28	FDR UCO Bank	0	38589.00
		Total	**68889889.74**

नगर परिषद की बैंक समाधान विवरणी (bank recocilation) **का सार निम्न प्रकार से है:-**

दिनांक 31.03.2017 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष	**68889889-74**
जमाः—	
1. वह राशि जिस का निजी दुर्घटना बीमा के रूप में नगर परिषद कार्यालय द्वारा भुगतान तो किया गया है किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से इस राशि की	**2580-00**

कटौती नहीं की गई

2 पैन्शन की वह राशि जिसे बैंक ने दिनांक 31.3.2009 को डेबिट तो कर दिया है किन्तु इस राशि की रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं की गई जैसा की गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित है	**175243-00**
3 आय जिसका क्रेडिट बैंक द्वारा 31.3.2017 के पश्चात दिया गया	**350822-00**
चैक नं. 235601 दिनांक 28.03.2017 21776.00	
चैक नं. 017495 दिनांक 27.03.2017 300000.00	
चैक नं 019899 दिनांक 30.03.2017 3500.00	
चैक नं 000054 दिनांक 30.03.2017 3500.00	
चैक नं 163159 दिनांक 30.03.2017 1762.00	
चैक नं 129085 दिनांक 29.03.2017 737.00	
चैक नं 490425 दिनांक 29.03.2017 13000.00	
चैक न.659827 दिनांक 09.03.2017 6547.00	
4 ₹190.00 की आय का चैक (संख्या 373751) का बैंक द्वारा ₹110.00 का ही क्रेडिट दिया गया।	**80-00**
5 ₹285.00 की आय का चैक (संख्या 252137) का बैंक द्वारा ₹280.00 का ही क्रेडिट दिया गया	**5-00**
6 ₹3250.00 का चैक (संख्या 044899) जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹3530.00 का भुगतान कर दिया गया	**280-00**
7. आय के चैक जो बाउंस होने पर बैंक द्वारा लौटा दिए गए	**1944694-00**

327110	10.06.2011	63730
66310	17.01.2012	234000
66593	10.03.2013	162000
66594	12.03.2012	125000
66595	15.03.2012	125000
66596	15.03.2012	125000
252137	14.08.2012	4800
936748	12.08.2012	8580
692117	31.12.2012	1983
	20.09.2016	1100
908643	20.09.2016	50000
	28.11.2016	2552
197859	03.12.2016	6704

785521	03.12.2016	97
	18.01.2017	225
714994	13.02.2017	15450
	14.02.2017	2915
265500	16.02.2012	280
954618	25.04.2013	1408
45211	26.02.2013	1500
320411	22.07.2014	62194
175373	10.08..2014	153000
379386	25.11.2014	2315
203946	18.10.2014	20000
747536	02.02.2015	1500
678691	30.01.2015	10000
5692	27.03.2015	134250
98589	12.05.2015	1163
871679	09.09.2015	36280
669403	27.11.2015	20000
391842	21.12.2015	2700
756031	29.09.2015	500
851276	12.01.2016	4270
851277	12.01.2016	2790
743211	19.01.2016	1548
198278	16.04.2016	11500
165772	10.05.2016	17739
931010	10.06.2016	1779
95494	03.08.2016	27689
108460	14.09.2016	8000
108	18.11.2016	4000
	23.11.2016	1100

चैक सं0	दिनांक	राशि
310122	12.05.2013	5000
310123	12.05.2013	5000
		13433

13267	15.10.2013	5000
771184	23.12.2013	5000
45929	01.10.2013	8325
296218	03.01.2014	1880
173183	28.12.2013	400000
700518	10.01.2014	20000
665585	01.03.2014	20000
425871	18.03.2014	4415

कुल योगः–	**71363593-74**
माईनसः–	
1. बघाट को0ओ0 बैंक खाता संख्या 631 जिसका अन्तिम शेष रोकड़ वही में नहीं लिया गया	**2326-50**
2. बैंक खाते में अधिक राशि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित	**2265-03**
3. ठेकेदारों को देय वह राशि जिसकी रोकड़ वही में बुकिंग 31.3.2013 से पूर्व की गई किन्तु इस तिथि तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित	**31625-00**
4. वर्ष 2007–2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई बैंक खातों व रोकड़ वही के शेषों में भिन्नता, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित	**879518-73**
5. जारी किये गए चैक जिनको 31.3.17 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गये	**7158854-00**

चैक सं0	दिनांक	राशि
22101	13-07-2011	2844
9954	05.12.2012	400
9984	29.12.2012	171
32	15..07.2013	1530
10362	09.07.2013	2486
10365	09.07.2013	387
59149	16.12.2016	1500
63903	10.03.2017	5000
63904	10.03.2017	5000
63912	10.03.2017	38419
63913	10.03.2017	388

63914	10.03.2017	32598
63916	10.03.2017	101824
63917	10.03.2017	1029
63918	10.03.2017	50644
63966	31.03.2017	9908
63946	25.03.2017	8500
63962	31.03.2017	30748
63968	31.03.2017	9844
63920	31.03.2017	80000
63951	31.03.2017	377701
63961	31.03.2017	3476
63963	31.03.2017	1800
63969	31.03.2017	130035
63970	31.03.2017	150204
63971	31.03.2017	8210
63953	28.03.2017	898275
63956	28.03.2017	264668
63959	31.03.2017	45579
63960	31.03.2017	4985
63947	25.03.2017	8500
63958	29.03.2017	40000
63957	31.03.2017	454414
334375	31.03.2017	353736
334379	31.03.2017	350581
334380	31.03.2017	272141
334384	31.03.2017	551700
334372	31.03.2017	211627
334373	31.03.2017	175246
334376	31.03.2017	33800
334377	31.03.2017	50100
334378	31.03.2017	146914
334382	31.03.2017	366628
334370	31.03.2017	160755

334381	31.03.2017	215694
334383	31.03.2017	246508
107981	15.07.2013	22263
108009	19.07.2013	1285
334342 से 334362@10000/-	20.03.2017	210000
334371	31.03.2017	179899
334374	31.03.2017	437827
14874	23.05.2016	250
14875	23.05.2016	250
14881	23.05.2016	250
14894	23.05.2016	250
14896	23.05.2016	250
14911	23.05.2016	250
	18.02.2016	1500
	02.04.2016	277
806208	07.03.2017	281862
806209	07.03.2017	117444

6 वह राशि जो ठेकेदारों के बिलों से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत काटी गई परन्तु भुगतान हेतु इस राशि का बैंक से आहरण दिनांक 31.3.2017 के पश्चात किया गया। **5647190-00**

(नोटः– इस राशि को नगर परिषद द्वारा ना तो लेखा बहियो' में आय में शामिल किया गया था और न ही व्यय में)

	मद / शीर्षक
प्रतिभूति	5162504
स्त्रोत पर आयकर	99652
बिक्रीकर	244114
सेस	90453
रोयल्टी	50467

7 आय का ₹1560.00 का चैक (संख्या 343125) का बैंक द्वारा ₹1566 का क्रेडिट दिया गया **6-00**

8 अन्तर **2960-00**

नगर परिषद की लेखा बहियों / वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.03.2017 को अन्तिम **57638848-48**

अतः उपरोक्त ₹2960 के अन्तर का मिलान / समाधान करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 बैंकों द्वारा आय के अस्वीकार चैकों ₹15.42 लाख की वसूली हेतु उचित कार्रवाई न करना :–

4.3.1 श्री संदीप सिंह द्वारा कार पार्किंग फीस ₹834730 को निम्न चैकों द्वारा नगर परिषद में जमा किया गया। इन चैकों को बैंक द्वारा बाउंस कर नगर परिषद को वापिस किया गया, परन्तु इन अस्वीकार चैकों की राशि को पार्किंग फीस के खाते में बकाया नहीं दर्शाया गया था। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इन चैकों की राशि की वसूली हेतु माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। अतः उपरोक्त पार्किंग फीस की बकाया राशि को अभिलेख में वसूली हेतु दर्ज किया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि में
327110	10.6.2011	63730
0063310	17.1.2012	234000
0066593	10.3.2012	162000
0066594	12.3.2012	125000
0066595	13.3.2012	125000
0066596	19.3.2012	125000
	योग	**834730**

4.3.2 सफाई चार्जिज ₹0.29 लाख के चैकों को बैंक द्वारा (आय) वापिस करने के कारण सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज न करना :–

निम्न चैकों द्वारा पालिका खाते में उपभोक्ताओं द्वारा सफाई चार्जिज की देय ₹29253 का भुगतान किया गया, लेकिन इन चैकों को बैंक द्वारा अस्वीकार करने कारण परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस प्रकरण में उचित व अपेक्षित कार्रवाई करते हुए अपेक्षित अभिलेख में राशि की पुनः मांग दर्शाकर वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि में
379386	25.11.2014	2315
936748	12.8.2012	8580
252137	14.8.2012	4800
692117	31.12.2012	1983

296218	2.1.2014	1880
425871	18.3.2014	4415
013267	29.11.2013	5000
265500	16.2.2012	280
	योग	**₹29253**

4.3.3 ₹8325 का चैक संख्या 045929 दिनांक 1.10.2013 को नगर परिषद द्वारा प्राप्त किया गया, जब इस चैक को खाते जमा करने के लिए भेजा तो इस चैक को बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर वापिस लौटा दिया। नगर परिषद द्वारा इस चैक की ₹8325 में से केवल ₹8000 को रसीद संख्या 396/38 दिनांक 3.2.2014 द्वारा प्राप्त किया गया। अतः बकाया ₹325 को सम्बन्धित खाते में नहीं बढ़ाया और न ही चैक संख्या 045929 दिनांक 1.10.2013 की प्रविष्टि सम्बन्धित खातों में की गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

4.3.4 चैक संख्या 692117 दिनांक 31.12.2012 ₹1983 का प्राप्त हुआ और यह चैक बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर दिया। अभिलेखों की जांच पर पाया कि इस वाउंस चैक के स्थान पर उपभोक्ता ने दिनांक 4.3.2015 को रसीद संख्या 457/88 द्वारा नगद राशि जमा करवा दी गई परन्तु नगर परिषद द्वारा अपनी रोकड़ में इस चैक की Reverse Entry नहीं की, अतः अपेक्षित अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

4.3.5 जल प्रभार (आय) ₹0.66 लाख के चैकों को बैंक द्वारा वापिस करने के कारण सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज न करना :–

निम्न चैकों द्वारा परिषद के खाते में उपभोक्ताओं द्वारा जल प्रभार की देय राशियों ₹66433 का भुगतान किया गया। इन चैकों को बैंक द्वारा स्वीकार न करने के कारण सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खाते में प्रभार की राशि को पुनः मांग दर्शाई जानी व रोकड़ वही में अपेक्षित कार्रवाई की जानी थी, लेकिन परिषद द्वारा न तो उपभोक्ताओं के खातों में जल प्रभार की राशि की पुनः मांग दर्ज की गई और न ही बैंक द्वारा वापिस चैकों पर अपेक्षित कार्रवाई की गई। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि ₹ में
045211	26.2.2013	1500
747536	2.2.2016	1500
678691	30.1.2015	10000
042557	10.7.2013	13433
665585	1.3.2014	20000
700518	10.1.2014	20000
	कुल योग	**₹66433**

4.3.6 कार पार्किंग फीस में प्राप्त चैकों ₹534250 के बारे :–

नगर परिषद को निम्नलिखित चैकों द्वारा कार पार्किंग फीस प्राप्त हुई।

चैक संख्या	दिनांक	फर्म/व्यक्ति का नाम	राशि
005692	26.3.2015	Sh. Karanjit Singh	134250
173186	28.12.2013	Sh. Gaurav	400000
		योग	**534250**

उक्त दोनों वर्णित चैकों को बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर वापिस लौटाया गया। इनमें से चैक संख्या 805692 दिनांक 26.3.2015 ₹134250 जोकि श्री करणजीत सिंह से प्राप्त हुआ तथा वाउंस होने पर इसकी वसूली निर्माण कार्य बिल से की गई दर्शाई गई, परन्तु राशि की वसूली किस निर्माण कार्य के बिल से की गई से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित अभिलेख पुष्टि हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा इस राशि की वसूली शीघ्र कर नगर परिषद निधि में जमा करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

श्री गौरव से पार्किंग शुल्क के रूप में प्राप्त चैक संख्या 173186 दिनांक 28.12.2013 ₹400000 को बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस कर दिया, जिसकी वसूली नगर परिषद द्वारा श्री गौरव से नहीं हुई। अतः नगर परिषद ने ₹400000 की वसूली के लिए माननीय न्यायालय में केस दायर किया, जोकि अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है। अतः न्यायालय के निर्णय से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3.7 चैक संख्या 771189 दिनांक 23.12.2013 ₹5000

उक्त चैक श्री वजिन्द्र ठाकुर अध्यक्ष सिरमौर स्टूडेण्ट एसोसिएशन से रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुआ था तथा यह चैक बैंक द्वारा वाउंस कर दिया, जिसके फलस्वरूप यह प्रतिभूति ₹5000 सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली जानी थी, जोकि नगर परिषद द्वारा पुनः से वसूल नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित वसूली सम्बन्धित संस्था से करनी सुनिश्चित की जाए।

4.3.8 चैक संख्या 310122 तथा 310123 दिनांक 12.5.2013 ₹5000 प्रति

यह चैक श्री उदेय से रेस्ट हाउस हॉल की बुकिंग के लिए ₹5000 किराये तथा ₹5000 प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुए। यह दोनों चैक बैंक द्वारा अस्वीकार/वाउंस हो गए, जिसके कारण चैक वापिस नगर परिषद को भेजा गया, परन्तु इन राशियों की वसूली पुनः से नहीं हो सकी, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को वित्तीय नुकसान हुआ, जिसकी वसूली शीघ्र कर नगर परिषद कोष में जमा की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

4.3.9 चैक संख्या 520411 दिनांक 22.7.2014 ₹62194

यह चैक M.E.S से रसीद संख्या 834/54 द्वारा प्राप्त हुआ था और बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार यह चैक अस्वीकार/वाउंस दर्शाया गया है। नगर परिषद प्रशासन अंकेक्षण को यह स्पष्ट नहीं कर सका कि इस राशि की पुनः वसूली कर ली गई या नहीं? क्योंकि मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में इसकी जांच को नहीं दर्शाया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

5. (क) अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय से ₹305.54 लाख का अधिक व्यय करना :–

नगर परिषद सोलन के वर्ष 2015–16 व 2016–17 के लेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि स्वयं संसाधनों से कुल प्राप्त आय व अन्तशेष ₹166226195.29 के विरूद्ध ₹196779884.05 का व्यय किया गया, जोकि कुल प्राप्ति से ₹30553687.26 अधिक था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों से प्राप्ति	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों पर व्यय	प्राप्ति से अधिक व्यय
2015-16	(-)8629143.21	79354867.50	85840639.78	(-)15114914.49
2016-17	(-)15114914.49	95500471-00	110939244.27	(-)30553687.26

स्वयं संसाधनों से उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने का प्रकरण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन के ध्यान में चर्चा के दौरान लाया गया था। अतः स्वयं संसाधनों से वास्तविक प्राप्ति से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) प्राप्त अनुदान से ₹305.54 लाख का अनियमित व्यय करना

उपरोक्त पैरे में दिए गए विवरणानुसार ₹30553687.26 का व्यय स्वयं संसाधनों पर वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान प्राप्ति से अधिक व्यय किया गया था। अतः इस प्रकार सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों से स्वयं संसाधनों पर दिनांक 31-03-17 **तक** ₹305.54 **लाख** का व्यय किया गया था। सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों से अनुचित रूप से स्वयं संसाधनों पर किए गए व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा स्वयं संसाधनों पर सरकारी प्राप्तियों से किए गए व्यय की शीघ्र प्रतिपूर्ति करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों से नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. सावधि निवेश :–

(i) नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "II")** के सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को निम्नानुसार राशियाँ सावधि जमा में निवेशित थीः–

शीर्ष	दिनांक 31.3.2017 को निवेशित राशि
नगर परिषद निधि	29075490
CPF	19003534
GPF	20394887

(ii) विभिन्न सावधि निवेश पर ₹10.72 लाख ब्याज के रूप में आय की कम प्राप्तिः—

नगर परिषद द्वारा किये गये विभिन्न सावधि निवेशों पर प्राप्त ब्याज की पड़ताल के दौरान पाया गया कि इन निवेशों के परिपक्व होने पर सम्बन्धित बैंकों से निम्नानुसार ₹1071860 (विवरण **परिशिष्ट "III"** पर संलग्न) ब्याज कम प्राप्त हुआ था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित बैंकों के समक्ष मामला उठा कर कम प्राप्त किये गए ब्याज की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

शीर्ष	**जिस अवधि के दौरान ब्याज कम प्राप्त हुआ**	**कम दिए गए ब्याज की राशि**
नगर परिषद सम्बन्धी सावधि जमा	2015—16	275698
—यथोपरि—	2016—17	162195
PF फण्ड सम्बन्धी सावधि जमा	2015—16	298348
—यथोपरि—	2016—17	85954
CPS सम्बन्धी सावधि जमा	2015—16	172592
—यथोपरि—	2016—17	77073
कुल योग		**₹1071860**

(iii) स्त्रोत पर ₹165 की आय कर की कटौती करने बारेः—

सावधि जमा से सम्बन्धित रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 95 पर SBOP (सावधि जमा खाता संख्या 65255267325) में निवेशित ₹166485 के परिपक्व होने पर बैंक द्वारा ₹165 स्त्रोत पर आय कर के रूप में काटे गए थे जोकि आयकर अधिनियम की धारा 196 में दिए गए निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः उक्त प्रकरण सम्बन्धित बैंक के समक्ष उठा कर तथा ₹165 की वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(iv) सावधि निवेशों से सम्बन्धित दस्तावेजों का उचित रख रखाव न करनाः—

नगर परिषद द्वारा समय—2 पर सावधि जमा में राशियाँ निवेश की जाती है। सावधि जमा में निवेशित राशियों की परिपक्वता के उपरान्त सम्बन्धित बैकों द्वारा या तो नया सावधि जमा पत्र जारी किया जाता है या पुराने सावधि जमा पत्र पर सावधि जमा में पुनः निवेशित राशि से सम्बन्धित विवरण (ब्याज की दर, सावधि जमा की अवधि, सावधि जमा राशि की

परिपक्वता राशि आदि) भर दिया जाता है। इस सावधि जमा पत्रों से बैंकों में निवेशित राशियों के ब्याज की दर, सावधि जमा की अवधि, सावधि जमा राशि की परिपक्व राशि बारे पुष्टि की जा सकती है, परन्तु इनके अभाव में यह पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं होता है। अतः **परिशिष्ट IV** में वर्णित सावधि जमा पत्र/ बैंक विवरणियां प्रस्तुत करने के साथ–2 भविष्य में सावधि जमा पत्रों की छाया प्रतियों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बैंकों में निवेशित राशियों के ब्याज की दर, सावधि जमा की अवधि, सावधि जमा राशि की परिपक्व राशि बारे पुष्टि की जा सके।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 19 दिनांक 26.2.18 द्वारा नगर परिषद को अवगत करवाया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके बारे कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि इनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके दर्शा दी जायेगी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद के दैनिक कार्य चलाने हेतु आवश्यक राशि छोड़ कर स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय में से अधिकतम राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाए ताकि नगर परिषद को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके। यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निजी बैंकों में भी सावधि जमा किये गये थे। अतः निवेश करते समय सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–2 पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. सरकारी अनुदान :–

नगर परिषद सोलन द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय तथा दिनांक 31.3.2017 को पाए गए अन्तशेष का विवरण **परिशिष्ट "V(1) व V(2)"** पर दिया गया है।

वर्ष 2014–15 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹54374848 में से ₹5697552 वर्ष 2015–16 व ₹11854639 वर्ष 2016–17 के दौरान व्यय की गई थी तथा इस राशि में से ₹36822657 दिनांक 31.3.2017 को अनुपयुक्त थी। अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियां आमतौर पर एक या दो वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयुक्त इन अनुदान राशियों को या तो उन्हीं स्त्रोतों को जहां से प्राप्त हुई है लौटाया जाना अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.1 दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹881.93 लाख व्यय हेतु शेष :–

अंकेक्षणाधीन अवधि वर्ष 2015–16 व 2016–17 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹245028277 अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, जिसमें से अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान ₹193658399 व्यय किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान पूर्व वर्षों की शेष अनुदान राशि से ₹17552191 व अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशि से ₹193658399 कुल व्यय ₹211210590 किया गया तथा 31.3.2015 को पूर्व अवधि की अनुपयुक्त ₹36822657 व अंकेक्षणाधीन अवधि की अनुपयुक्त ₹51369878 कुल अनुपयुक्त ₹88192535 शेष थी। अतः अनुदान राशि सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयुक्त राशि को सक्षम अधिकारी से व्यय हेतु अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्धेश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित करें, जिन उद्धेश्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई थी। अन्यथा व्यय हेतु शेष राशि को सम्बन्धित संस्था को वापिस किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 नगर परिषद की सीमा मे sewrage line के लिये सरकार से ₹20000000 का अनुदान प्राप्त हुआ था लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि यह अनुदान सरकार से अंकेक्षण अबधि से पूर्व बर्षो मे प्राप्त हुआ था परन्तु 31-03-17 तक इस राशी को उस उदेश्य के लिये खर्च नही किया गया था जिस उदेश्य के लिये यह अनुदान प्राप्त हुआ था| इस से ऐसा प्रतीत होता है कि शहर के लोगो कों इस अनुदान से जो सुबिधा प्राप्त होनी थी उस से बंचित रहना पड़ा जिसके लिये नगर परिषद् अपनी स्थिति स्पष्ट करें तथा इस अनुदान को शीघ्र उस उदेश्य के लिये खर्च करें जिस उदेश्य के लिये यह अनुदान प्राप्त हुआ था अन्यथा इस अनुदान को शीघ्र बापिस सरकार को लौटाया जायें तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अबगत करवाया जायें |

इसी प्रकार नगर परिषद की सीमा मे Solid Waste Management (SWM) के लिये सरकार से ₹7698609 का अनुदान प्राप्त हुआ था लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि

यह अनुदान सरकार से अंकेक्षण अबधि से पूर्व बर्षो मे प्राप्त हुआ था परन्तु 31-03-17 तक इस राशी को उस उदेश्य के खर्च नही किया गया था जिस उदेश्य के लिये यह अनुदान प्राप्त हुआ था| इस से ऐसा प्रतीत होता है कि शहर के लोगो कों इस अनुदान से जो सुबिधा प्राप्त होनी थी उस से बंचित रहना पड़ा जिसके लिये नगर परिषद् अपनी स्थिति स्पष्ट करें तथा इस अनुदान को शीघ्र उस उदेश्य के लिये खर्च करें जिस उदेश्य के लिये यह अनुदान प्राप्त हुआ था अन्यथा इस अनुदान को शीघ्र बापिस सरकार को लौटाया जायें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अबगत करवाया जायें|

8 स्थापना (Establishment) पर ₹157.81 लाख का अनियमित व्यय किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (ग) के अनुसार स्थापना पर व्यय नगरपालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। नगर परिषद के अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान निम्न विवरणानुसार स्थापना पर ₹15781690.43 का व्यय उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 5.3 (1) के प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त आगामी वर्षों के दौरान उपरोक्त धारा के अनुरूप स्थापना व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि	परिषद का कुल व्यय	स्थापना पर कुल व्यय	स्थापना पर व्यय की प्रतिशतता	कुल व्यय का 1/3 व्यय जो स्थापना पर किया जाना था	स्थापना पर अनियमित/अधिक व्यय
2015–16	168086692.70	71810588.00	42.72%	56028897.57	15781690.43
				कुल योग	15781690.43

9. गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को ₹1321.77 लाख की वित्तीय हानिः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या–एलएसजीडी (1)/9194, दिनांक 28.8. 1997 की अनुसूचि क्रमांक–2 द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र सोलन में दिनांक 1.9.1997 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर गृहकर अधिरोपित करने, निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या–यूएलबीएच (सी) (9) (2)/1991–11, दिनांक 20.4.1998 तथा

यू0एलबी–एच (सी) (9)(1), दिनांक 6.11.1999 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा–271 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए गृहकर की वसूली का परामर्श देने तथा इसके पश्चात भी निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या–यूजीएच(सी) (10)–10/1997, दिनांक 4.12.1999 द्वारा प्रदेश की समस्त नगर परिषदों/नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों व उनके कार्यान्वन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए गृहकर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु कहे जाने के बावजूद भी नगर परिषद सोलन के अधिसूचित क्षेत्र में गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2002 से 3/2007 तथा उसके बाद जारी सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता रहा है, परन्तु इस प्रकरण पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जोकि इस प्रकरण के प्रति नगर परिषद की उदासीनता को परिलक्षित करता है। दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर अधिरोपित न करने के कारण नगर परिषद को लगभग ₹110115923 की वित्तीय हानि का आंकलन किया गया था, जोकि **परिशिष्ट VI** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक बढ़कर ₹132177439 आंका गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 6.2.18 द्वारा दिनांक 31.3.2017 को गृहकर की उपरोक्त बकाया राशि की वसूली न करने बारे में स्पष्टीकरण माँगा था जिसके उत्तर में नगर परिषद के पत्र संख्या SLN/MC/2018-5239 दिनांक 13.2.18 के अनुसार प्रकरण अपेक्षित कार्यवाही हेतु शीघ्र नगर परिषद सभा में उठाया जाएगा। अतः नगर परिषदों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार–बार इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करने के उपरान्त भी परिषद परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा गृहकर की वसूली नियमानुसार करने हेतु आवश्यक कार्यवही अमल में लाई जानी सुनिश्चित किया जाए।

10 दिनांक 31.3.2017 तक मलवहन कर (Conservancy tax) ₹266.04 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान की प्रस्तुत जानकारी के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक मलवहन कर ₹26604233 वसूली योग्य शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट VII** पर संलग्न है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 8 दिनांक 6.2.18 द्वारा दिनांक 31. 3.17 को मलवहन कर की उपरोक्त बकाया राशि की वसूली न करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था जिसके उत्तर में नगर परिषद की पत्र संख्या SLN/MC/2018-5358 दिनांक 13.2.18 के अनुसार शीघ्र उक्त राशि की वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया दिया जाएगा।

अतः बकाया राशि की वसूली किए जाने हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए व की गई कार्यवही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 जन स्वास्थ्य विभाग से पानी के क्रय सम्बन्धी अनियमितताएंः—

(i) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹4241.30 लाख का भुगतान शेषः—

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट VII** के अनुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹424130259 का भुगतान करना शेष था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 6.2.2018 द्वारा दिनांक 31.3. 2017 को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को इतनी अधिक राशि का भुगतान बकाया होने बारे स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके उत्तर में नगर परिषद की पत्र संख्या SLN/MC/2018-5357 दिनांक 13.2.18 द्वारा कोई सन्तोषप्रद औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बकाया राशि का शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार के अधिभार के रूप में नगर परिषद को हानि न उठानी पड़े तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण नगर परिषद पर अधिभार ₹424.13 का दायित्व होनाः—

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन द्वारा अश्वनी खडड व गिरी नदी परियोजनाओं से जल आपूर्ति की जाती है। जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख व उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया गया था। इस कारण नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹42413026 अधिभार (Surcharge) से सम्बन्धित राशि देय बनती है।

दिनांक 31.3.17 को संचिाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को अधिभार सहित देय बकाया राशि	**अधिभार (शेष राशि का 10)**
424130259	42413026

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 6.2.18 द्वारा दिनांक 31.3.17 को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को इतनी अधिक राशि का भुगतान बकाया होने बारे स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके उत्तर में नगर परिषद की पत्र संख्या SLNMC/2018-5357 दिनांक 13.2.18 द्वारा कोई सन्तोषप्रद औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। यह प्रकरण निदेशक स्थानीय निकाय हिमाचल प्रदेश के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(iii) जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलों में अधिक रेट लगाये जाने के कारण बिलों में देय ₹0.18 लाख का अधिक दर्शानाः–

नगर परिषद को अश्वनी खडड जल आपूर्ति परियोजना से सम्बन्धित जारी किये गये बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह 08/15 तथा 09/15 के जल आपूर्ति से सम्बन्धित बिलो मे आगामी तथा पिछले मासों की अपेक्षा अधिक रेट charge किया था जिस कारण निम्नानुसार ₹17677 की अधिक देय राशि बनती थी जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

बिल की अवधि	जल आपूर्ति की मात्रा	लगाया गया रेट 1000/L	बिल की राशि (10 % अधिभार सहित) (क)	बिलों पर लगाया जा रहा रेट 1000/L	बिल की राशि जितनी होनी चाहिए थी (10 % अधिभार सहित) (ख)	अन्तर (क–ख)
1.8.15 से 31.8.15	79710000 ली0	20.92	1834286	20.82	1825518	8768
1.9.15 से 30.9.15	80990000	20.92	1863742	20.82	1854833	8909
					कुल योग	**₹17677**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 6.2.18 द्वारा इस बारे में नगर परिषद को अवगत करवाया था, जिसके उत्तर में नगर परिषद की पत्र संख्या SLN/MC/2018-5357 दिनांक 13.2.18 द्वारा अवगत करवाया गया कि मामला सम्बन्धित विभाग से उठा कर आवश्यक समायोजन करवा लिया जाएगां अतः मामले को सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उठाने के साथ–2 इस वस्तुस्थिति पता लगा कर तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iv) बिल में जल आपूर्ति की मात्रा बारे स्थिति स्पष्ट न होनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गिरी नदी जल आपूर्ति परियोजना के माह 04/15 से सम्बन्धित बिल में पानी की आपूर्ति से सम्बन्धिज Net मात्रा 146120000 लीटर तथा विभिन्न कलौनियों को पानी की सीधी आपूर्ति 30000000 लीटर दर्शाई गई थी। फलस्वरूप पानी की कुल आपूर्ति 176120000 लीटर बनती थी जबकि रींडिंग के अनुसार पानी की कुल आपूर्ति की मात्रा 196680000 लीटर दर्शाई गई थी तथा इस रीडिंग के आधार पर ही बिल की राशि की गणना की गई थी। यदि पानी की वास्तविक आपूर्ति 176120000 लीटर थी तो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्नानुसार ₹470865 का अधिक बिल दिया गया था। अंकेक्षण ने ज्ञापन संख्या 2 दिनांक 6.2.18 द्वारा इस बारे में नगर परिषद को अवगत करवाया था। जिसके उत्तर में नगर परिषद की पत्र संख्या SLN/MC/2018-5357 दिनांक 13.2.18 द्वारा अवगत करवाया गया कि मामला सम्बन्धित विभाग से उठा कर आवश्यक समायेाजन करवा लिया जाएगा। अतः मामले को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उठाने के साथ–2 इस बारे वस्तुस्थिति पता लगा के तथा तदानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बिल की अवधि	मीटर रीडिंग के अनुसार जल आपूर्ति की मात्रा	बिल के अनुसार जल की Net आपूर्ति	बिल की राशि (10 % अधिभार सहित) (क)	बिल की राशि Net आपूर्ति के अनुसार (10 % अधिभार सहित) (ख)	अन्तर (क–ख)
1.4.15 से 30.4.15	196680000	176120000	4504365	4033500	470865

12 परिषद द्वारा जल आपूर्ति करने पर ₹828.88 लाख की हानिः–

नगर परिषद द्वारा परिषद क्षेत्र में पानी की आूपर्ति की जाती है जबकि नगर परिषद को पानी की आपूर्ति सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन द्वारा की जाती है व समय समय पर निर्धारित दरों पर जल प्रभार के बिल नगर परिषद को भुगतान हेतु प्रेषित किए जाते है। अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर परिषद को दिनांक 31.3.2017 तक ₹133862237 (65183213+68679024) सरचार्ज सहित) के जल प्रभार बिल जारी किए गए व नगर परिषद द्वारा उपभोक्ताओ को ₹50974344 (22356812+28617532) के बिल जारी किए गए, जिसके कारण नगर परिषद

को ₹82887893 (133862237–50974344) की हानि उठानी पड़ी है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी नगर परिषद को इस बारे अवगत करवाया गया था परन्तु अभी तक इस बारे कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16 दिनांक 22.2.18 द्वारा भी इस अनियमितता को ध्यान में लाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्टतया नगर परिषद की हानि में वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ौतरी होती जा रही है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मामले में शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि नगर परिषद को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके। इस बारे में कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

13 शराब शुल्क :–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से शराब शुल्क की निम्न विवरणानुसार ₹4954400 की आय प्राप्त हुई।

वर्ष	चैक संख्या	पत्र संख्या जिसके अन्तर्गत शुल्क प्राप्त हुआ तथा वर्ष जिससे सम्बन्धित शुल्क प्राप्त हुआ	राशि ₹
2015–16	760018 दिनांक 29.3.2017	EXN-SLN-Cash-3173 dt. 01.04.2017	2446043
2016–17	RTGS	EXN-SLN-Cash-15280 Dt. 31.10.2017	2508357
		कुल योग	**₹4954400**

शराब शुल्क प्राप्ति के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि आबकारी एवं कराधान द्वारा देय शुल्क को न तो समय पर अदा किया गया और न ही नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई बोतलें की संख्या परिषद को सूचित की गई थी, जिसकी अनुपस्थिति में नगर परिषद को होने वाली आय की पुष्टि अंकेक्षण के द्वारा सम्भव नहीं हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 5.12.18 के सन्दर्भ में नगर परिषद के पत्र संख्या SLN/MC/2018-5356 दिनांक 13.2.2018 द्वारा अवगत करवाया गया कि आबकारी विभाग द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में बेची गई बोतलों की संख्या बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी। अतः सम्बन्धित विभाग से विगत वर्षों के अपेक्षित पूर्व विवरण के साथ–साथ वर्ष 2015–2016 व 2016–2017 में बेची गई कुल बोतलों की संख्या की जानकारी हेतु

अभिलम्ब पत्राचार करके अपेक्षित अभिलेख देय शुल्क के सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 बिजली शुल्क :—

शहरी विभाग की अधिसूचना संख्याः एलएसएचडी(1)—9/94—खण्ड—II, दिनांक 13.12.2000 के अनुसार नगर परिषद परिक्षेत्र के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.1.2001 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से सम्बन्धित नगर परिषद को विद्युत बोर्ड द्वारा दिया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट "IX"** के अनुसार अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित कोई भी राशि विद्युत बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई थी। साथ ही नगर परिषद की पत्र संख्या SLN/MC/2018-5356 दिनांक 13.2.2018 द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि कई बार विद्युत बोर्ड से पत्राचार करने के बावजूद उनसे अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। अतः वसूली हेतु मामला विद्युत बोर्ड के समक्ष पुनः उठाकर तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित राशि प्राप्त करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

15 प्रदर्शन शुल्कः—

नगर परिषद द्वारा प्रदर्शन शुल्क से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट X** के अनुसार) के अवलोकन पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः—

(ख) सुन्दर सिनेमाः—

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.17 को सुन्दर सिनेमा से निम्नानुसार ₹39550 वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अवधि	बकाया राशि	वर्ष के दौरान बकाया राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान ₹50 प्रति शो की दर से प्राप्ति	बकाया राशि
2015—16	18.12.15 से 31.3.15	0	15600	15600	0	15600
2016—17	1.4.16 से 31.3.17	15600	53950	69550	30000 (15000+15000)	39550

(ख) आनन्द सिनेमाः–

(i) प्रदर्शन शुल्क की प्राप्ति से सम्बन्धित पंजिका की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को 3/2016 से आनन्द सिनेमा से ₹6200 प्रतिमाह (31 दिन X4 शो X 50 प्रति शो) प्रदर्शन शुल्क की प्राप्ति की गई थी इस सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा अवगत करवाया गया कि माह 10/16 से मुरम्मत कार्य के चलते आनन्द सिनेमा बन्द था परन्तु इसकी पुष्टि हेतु कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 5.2.18 द्वारा उपरोक्त बकाया राशि की वसूली न किये जाने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण माँगा गया जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद के पत्र संख्या SLN/MC/2018-5360 दिनांक 13.2.18 द्वारा अवगत करवाया गया कि उपरोक्त बकाया राशियों की वसूली सम्बन्धित सिनेमा घरों से कर ली जायेगी। अतः उपरोक्त अनियमिततओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 कामकाजी महिला आवास के लेखों की जाँच पर निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः–

(1) कामकाजी महिला आवास में रह रही आवासियों से बिजली प्रभार की ₹58432 की कम वसूलीः–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानकारी **(परिशिष्ट "XI")** की सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कामकाजी महिला आवास से सम्बन्धित बिजली के बिलों का अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 तक ₹205772 का कुल भुगतान किया गया है जबकि नगर परिषद द्वारा आवास में रह रही महिलाओं से बिजली प्रभार के रूप में मात्र ₹147340 की वसूली की गई है। चूंकि महिला आवास में नगर परिषद द्वारा बिजली आपूर्ति न लाभ न हानि पर की जानी अपेक्षित है जिसके परिणामस्वरूप शेष ₹58432 (205772–147340) की वसूली की जानी अपेक्षित है। अतः उपरोक्त शेष ₹58432 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(2) कामकाजी महिला आवास में रह रही आवासी से ₹1938 किराए की कम वसूली करनाः—

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महिला आवास में रहने वाली महिला वन्दना से वर्ष 2016—17 के दौरान ₹1938 (₹6840 (₹570 प्रति मासिक x 12 माह)—4902 (वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली) किराए की कम वसूली की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1938 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(3) उप निदेशक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5'9/75-Wel-e दिनांक 3.4.2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु कामकाजी महिला से उसके कुल Emoluments का 15 प्रतिशत बतौर आवास शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान कामकाजी महिला आवास पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2015—16 में कुल 11 में से 9 तथा वर्ष 2016—17 में कुल 14 में से 13 कामकाजी महिलाओं से ₹570 मासिक किराए के रूप में वसूली की जा रही थी। कुल 25 में से 22 कामकाजी महिलाओं के किराए की राशि सामान होना तथा उनकी Emoluments एक समान होना यह औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। यह भी पाया गया कि महिला आवास का किराया उसमें आवासी महिलाओं के द्वारा प्राप्त वेतन के आधार पर निश्चित होता है। नगर परिषद द्वारा लगभग सभी प्रकरणों में आवासियों से उन्हें छात्रावास आबंटन के समय पर ही वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तथा उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त किये जा रहे वेतन की पुष्टि नहीं की जाती है। अतः भविष्य में प्रत्येक आवासीय महिला के नियोक्ता से प्रति वर्ष वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाएं व किराया निर्धारण भी तदानुसार ही किया जाए ताकि किराए में भी समय—समय पर वृद्धि सुनिश्चित हो सके क्योंकि बढ़ते उपभोक्ता सूचकांक में वेतन की बढ़ौतरी को नकारा नहीं जासकता है। चर्चा के दौरान भी इस बारे सन्तोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(4) कामकाजी महिला आवास से सम्बन्धित पंजिका मे की गई प्रविष्टियों को सम्बन्धित कर्मचारी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया था जोकि की गई प्रविष्टियों पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। पंजिका पर Inventory No. भी अंकित नहीं था। अतः इस

अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 15 दिनांक 22.2.18 द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹2.32 लाख की वसूली शेष होनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT-Dev-IT-2005, दिनांक 22.8.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क की एक मुश्त ₹10000 प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5000, ₹6250 पाँच वर्ष उपरान्त 25 प्रतिशत बढ़ौतरी के उपरान्त) प्रति टावर वसूल करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान परिषद द्वारा **परिशिष्ट XII** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी की समन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹231875 की वसूली नहीं की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 6.2.18 द्वारा विभिन्न मोबाईल कम्पनी से वसूली न करने बारे स्पष्टीकरण मांगा था जिसके उत्तर में नगर परिषद ने पत्र संख्या SLN/MC/2018-5355 दिनांक 13.2.2018 द्वारा मोबाईल कम्पनी से वसूली करके वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने का आवश्वासन दिया गया। अतः सम्बन्धित मोबाईल कम्पनी से बकाया राशि की वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

18 दिनांक 31.3.2017 पानी के बिलों की बकाया राशि ₹49.95 लाख वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद को उपभोक्ताओं द्वारा पानी के बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था जोकि **परिशिष्ट XIII** पर संलग्न विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.3.2017 तक विभिन्न उपभोक्ताओं से ₹4995648.50 वसूली हेतु शेष थी तथा नगर परिषद द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई प्रतीत होती है, जिस कारण परिषद द्वारा सिंचाई एवं जन

स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों की बकाया देय राशि में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इसके अतिरिक्त बकाया राशि पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 10 प्रतिशत (वार्षिक) की दर से अधिभार (Surcharge) का भी भुगतान अलग से करना पड रहा है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 6.2.18 द्वारा पानी के उपभोक्ताओं से वसूली न करने बारे स्पष्टीकरण मांगा था जिसके उत्तर में नगर परिषद ने पत्र संख्या SLN/MC/2018-5361 दिनांक 13.2.18 द्वारा बकाया राशि की वसूली शीघ्र करके अपेक्षित अनुपालना से अवगत करवाने का आश्वासन दिया गया। अतः पानी के बिलों की राशि की वसूली नियमित रूप से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार वस्तु स्थिति से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

19 पार्किग शुल्क की आय से सम्बन्धित अनियतिताएंः–

(i) पार्किंग शुल्क ₹18.13 लाख की वसूली न करनाः–

पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित **परिशिष्ट XIV** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी की सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद क्षेत्र में स्थित विभिन्न पार्किंग स्थलों के आबंटियों से पार्किंग शुल्क के रूप में ₹1813210 (25000+1788210) की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। इस कारण नगर परिषद को न केवल उक्त राशि बल्कि इस राशि पर ब्याज की जो आय प्राप्त हो सकती थी उससे भी वंचित होना पड़ा है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 6.2.2018 द्वारा विभिन्न आबंटियों से वसूली न करने बारे स्पष्टीकरण मांगा था जिसके उत्तर में नगर परिषद ने पत्र संख्या SLN/MC/2018-5357 दिनांक 13.2.18 द्वारा सम्बन्धित आबंटियों से वसूली करके अनुपालना से अवगत करवाने का आश्वासन दिया गया। अतः बकाया राशि की शीघ्र अतिशीघ नियमानुसार वसूली करके परिषद निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में नियत तिथि के भीतर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) पार्किंग शुल्क की नियत अवधि के भीतर वसूली न करने के कारण नगर परिषद को ब्याज के रूप में लगभग ₹2.15 लाख की सम्भावित हानिः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पर्किंग के ठेके दो वर्ष के लिए दिए गए थे। नगर परिषद ने आबंटियों/संविदाकारों से पार्किंग के ठेके की वसूली आबंटन पत्र में निर्धारित शर्त के अनुसार नियत तिथि तक नहीं की थी। आबंटन पत्र के अनुसार वर्ष 2015–16 अवधि के लिए पार्किंग ठेके से सम्बन्धित राशि 31.3.15 तथा वर्ष 2016–17 अवधि के लिए पार्किंग ठेके की राशि 29.2.2016 तक संविदाकारों द्वारा जमा करवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु आंबटियों द्वारा यह राशियाँ निम्नानुसार विलम्ब से जमा करवाई गई थी। यदि इन राशियों की वसूली आंबटन पत्र में निर्धारित शर्त के अनुसार नियत तिथि के भीतर की जाती तो उस स्थिति में नगर परिषद को निम्नानुसार लगभग ₹215831 ब्याज के रूप में आय की प्राप्ति हो सकती थी। अतः आबंटियों से नियत तिथि के भीतर वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹215831 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वर्ष	आबंटन पत्र के अनुसार जिस तिथि तक राशि जमा करवाई जानी अपेक्षित थी	जिस तिथि को जमा करवाई गई	राशि	जितने दिन राशि विलम्ब से जमा करवाई गई	ब्याज के रूप में हानि (4 प्रतिशत जमा खाता तथा 6.5 प्रतिशत सावधि जमा के अनुसार) (लगभग)
2015–16	29.2.16	3.5.16	97500	64	683
		3.5.16	85960	64	603
		13.5.16	85960	74	697
		3.5.16	59590	64	418
		5.5.16	55500	66	401
		14.6.16	85960	106	1624
		11.7.16	50000	133	1188
		11.7.16	150000	133	3566
		13.7.16	85960	135	2074

22.7.16	55500	144	1429
25.7.16	97500	147	2565
17.8.16	85960	170	2620
19.9.16	85960	203	3138
23.9.16	69180	207	2576
17.10.16	85960	231	3580
10.11.16	225000	255	10367
15.11.16	257880	260	12200
23.11.16	125000	268	6060
13.12.16	55500	288	2896
23.1.17	50000	329	2992
28.2.17	121920	365	8120
6.3.17	56500	371	3826
27.3.17	151000	392	10826
31.3.17 (राशि की वसूली नहीं की गई थी अतः 31.3.17 तक का ब्याज)	1813210	396	131382
		कुल योग	**215831**

(iii) पार्किंग स्थलों के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि श्री विमल कुमार को दो पार्किंग स्थलों (पुरानी कचहरी के पास तथा शिशु पार्क टैंक रोड) का आंबटन किया गया था। आबंटन की शर्तों के अनुसार आबंटियों से प्रत्येक पार्किंग के हेतु ₹50000 प्रतिभूति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। श्री विमल कुमार से दो पार्किंग स्थल आबंटित किये जाने की एवज में ₹50000 प्रति पार्किंग की दर से ₹100000 प्रतिभूति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु अभिलेख के अनुसार उनसे केवल ₹50000 प्रतिभूति की वसूली की गई थी। साथ ही अभिलेख में श्री करनजीत से भी पार्किंग स्थल आबंटन के सन्दर्भ में ₹50000 प्रतिभूति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टि नहीं पाई गई। इस अनियमितता को

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 6.2.18 द्वारा प्रशासन नगर परिषद के ध्यान में लाया गया। जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद के पत्र संख्या SLN/MC/2018-5354 दिनांक 13.2. 2018 में इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) पार्किंग स्थल आबंटन अभिलेख के अनुसार श्री हरजीत सिंह को सपरून चौक पर स्थित पार्किंग स्थल का आबंटन किया गया था। नगर परिषद के अनुसार श्री हरजीत सिंह को यह स्थल ₹390000 प्रति वार्षिक की दर से आबंटित किया गया था। कई बार आग्रह के पश्चात भी श्री हरजीत सिंह को पार्किग स्थल के आबंटन से सम्बन्धित नस्ति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण उनके द्वारा पार्किंग हेतु अधिकतम राशि की बोली दी थी तथा ₹390000 जितने में उन्हें पार्किंग स्थल का आबंटन किया गया था इन तथ्यों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 6.2.18 द्वारा प्रशासन नगर परिषद के ध्यान मे लाया गया जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद ने पत्र संख्या SLN/MC/2018-5354 दिनांक 13.2.18 द्वारा अवगत करवाया गया कि न्यायालय में केस दायर होने के कारण सम्बन्धित नस्ति पैरवीकर्ता वकील के पास थी। अतः सम्बन्धित नस्ति आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की जा सके।

20 घर–घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिन तक पहुंचाने के कार्य आबंटन में पाई गई अनियमितताएंः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 के दौरान वार्ड नं0 6, 9 व 12 के लिए घर–घर से कूड़ा एकत्रित नगर परिषद के डस्टबिन तक पहुंचाने के कार्य निम्न संविदाकारों को आबंटित किये गए थे।

संविदाकार का नाम/वार्ड सं0	Award letter संख्या/दि0	अवधि	प्रतिदिन जितने व्यक्ति लगाये जाने थे	रेट प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	जितनी राशि में कार्य Award किया गया
श्री गोपाल सिंह/6	No. MC/Work/2015-2417, Office of the Muicipal Council Solan, Dated 25.8.15	1 वर्ष	6 व्यक्ति 365 दिनों के लिए	210	459900

श्री विकास कुमार / 9	No. MC/Work/2015-2416 Office of the Municipal Council Solan. Dated 25.8.15	1 वर्ष	6 व्यक्ति दिनों के लिए	365	170	372300
श्री ईश्वर चन्द / 12	No. MC/Work/2015-2415, Office of the Municipal Council Solan, Dated:- 25.8.15	1 वर्ष	6 व्यक्ति दिनों के लिए	365	177	387630

नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट XV** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:—

(i) कार्य आबंटन पत्र के अनुसार घर—घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिषद के डस्टबिन तक पहुंचाने का कार्य माह 09 / 15 से 08 / 16 तक संविदाकारों को 1 वर्ष के लिए आबंटित किया गया थां संविदाकारों को 09 / 15 से 05 / 16 तक कुल ₹749738 का भुगतान किया गया था। आंबटन पत्र की शर्त 2 तथा 4 के अनुसार संविदाकारों को मासिक भुगतान तभी किया जाना था जब कनिष्ठ अभियन्ता / सफाई निरीक्षक यह सत्यापित करते कि संविदाकारों द्वारा वाडों में करवाया गया सफाई कार्य सन्तोषजनक था तथा उन्होने सफाई कार्य हेतु पर्याप्त मैनपावर लगवाई थी परन्तु अंकेक्षण के दौरान बार—2 आग्रह करने के बावजूद कोई भी अभिलेख इस सन्दर्भ में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पुष्टि की जा सके कि संविदाकारों को भुगतान उपरोक्त शर्तों में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के उपरान्त ही किया गया था। जिसके अभाव में ंसविदाकारों को किये गये ₹749738 के भुगतान को नियमित नहीं माना जा सकता है। अभिलेख के अनुसार संविदाकारों को माह 05 / 16 तक ही भुगतान किया गया था जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना माह 05 / 16 तक ही जारी रही जबकि संविदाकारों को यह कार्य माह 08 / 16 तक आबंटित किया गया था। संविदाकारों द्वारा 08 / 16 तक कार्य न करवाने के कारणों से कई बार आग्रह के पश्चात भी अवगत नहीं करवाया गया।

(ii) उपरोक्त वार्डों के प्रत्येक घर से कूड़ा उठाने के एवज में प्रति माह प्रत्येक घर से कितनी राशि की वसूली की जानी थी इससे सम्बन्धित कोई भी शर्त आबंटन पत्र में निर्धारित नहीं की गई थी। केवल मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि प्रत्येक घर से प्रतिमाह

₹50 थी तथा इस स्कीम का सुचारू रूप से चलाया जाता तो कार्य आबंटन अवधि के दौरान नगर परिषद को निम्नानुसार ₹1142336 की आय हो सकती थी। कई बार आग्रह के पश्चात भी इस राशि की कम वसूली का कोई भी औचित्य अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है इस राशि की वसूली न करने के कारण नगर परिषद कोष को ₹1142336 की हानि हुई।अतः इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1142336 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वार्ड सं0 6, 9 तथा 12 में घरों की सं0	**09/15 से 08/16 तक वार्ड सं0 6, 9 तथा 12 में स्थित घरों से कुल प्राप्ति (₹)**	**09/15 से 08/16 तक वार्ड संख्या 6, 9 तथा 12 में स्थित घरों से कुल देय प्राप्ति (ख)**	**जितनी कम राशि की वसूली की गई (ख–क)**
2151 (654+628+869)	148264 (18450+35390+28590+48539) +17295 (माह 10/16 में प्राप्त)	1290600 (2151 (654+628 869)x 50x12)	1142336

(iii) घर–घर से कूड़ा एकत्रित करके नगर परिशद के डस्टबिन तक पहुंचाने हेतु कार्य आबंटन से पूर्व सही नियोजन किया जाना तथा कार्य आंबटन से सम्बन्धित जस्टीफिकेशन (न्यायोचितता) बनाई जानी अपेक्षित थी ताकि इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक वार्ड में संविदाकारों के अधीन छः छः व्यक्ति जिस आधार पर रखे गए थे उनका रखा जाना औचित्यपूर्ण था। विभिन्न संविदाकारों के अधीन कार्यरत्त प्रत्येंक व्यक्ति को ₹210, ₹170 तथा ₹177 प्रतिदिन दिहाड़ी देय थी। कई बार आग्रह के पश्चात भी कार्य के नियोजन व जस्टीफिकेशन सम्बन्धी अभिलेख एवं विभिन्न संविदाकारों के अधीन व्यक्तियो की भिन्न–भिन्न दिहाडी के निर्धारण सम्बन्धी औचित्य सम्बन्धित अभिलेख सहित अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि माह 06/16 के बाद यह स्कीम बन्द हो गई थी क्योंकि माह 05/16 के बाद संविदाकारों को कोई भी भुगतान नहीं किया गया था। साथ ही नगर परिषद को निम्नानुसार घरों से कूड़ा उठाने के एवज में केवल ₹148264 की प्राप्तियाँ हुई थी तथा संविदाकारों को ₹749738 का भुगतान किया था फलस्वरूप नगर परिषद ने ₹601474 का भुगतान घरों से वसूली किये बिना ही अपने कोष से किया थां। इससे यह प्रतीत होता है कि यह स्कीम बिना किसी पूर्व नियोजन एवं बिना किसी जस्टीफिकेशन/अनुमान बनाये ही आरम्भ कर दी थी। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा संविदाकारों को माह 09/15 से 05/16 तक भुगतान तो नियमित रूप से किया जाता रहा

परन्तु घरों से वसूली पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान इस बारे चर्चा के दौरान कोई भी औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

09/15 से 3/17 तक संविदाकारों को किया गय भुगतान (क)	09/15 से 3/17 तक घरों से की गई वसूली (ख)	अन्तर (क–ख)
749738 (232380+181260+190206+64300+38950+42642)	148264 (18450+35390+28590+48539+17295) (माह 10/16 में प्राप्त)	601474

(iv) अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक तथा लिखित आग्रह करने के बावजूद वार्ड संख्या 9 से सम्बन्धित tender documents अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जिस कारण वार्ड संख्या 9 में संविदाकार श्री विकास कुमार को कार्य सही आबंटन किये जाने सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 16.2.18 तथा 20 दिनांक 26.2.18 द्वारा भी नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इसके सन्दर्भ में नगर परिषद द्वारा कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य प्रस्तुत करने के साथ–2 इस कारण नगर परिषद को हुई हानि की भरपाई उपयुक्त स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 Solid Waste processing plant सम्बन्धी अनयमितताएंः–

(i) अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आग्रह करने के बावजूद सलोगड़ा, सोलन में स्थित Solid Waste Processing plant (Phase I, providing man power for compost processing तथा phase II, management and operation of plant) से सम्बन्धित tender documents एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि कम्पोस्ट के उत्पादन, बिक्री, शेषों, उत्पादन मापदंड, कम्पोस्ट की packing हेतु जारी किये गए bags आदि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह भी प्रतीत होता है कि इस अभिलेख का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा था इस प्रकार अंकेक्षण के दौरान अभिलेखानुसार आवश्यक अपेक्षित पड़ताल नहीं की जा सकी।

(ii) अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से अवगत करवाया गया कि Solid Waste processing plant में एक दिन मे 10 tone (10000 कि0ग्रा0) कूड़े की Processing जा सकती थी तथा 10 ton में से 5 प्रतिशत कम्पोस्ट बनती है। स्पष्टतया एक Ton में से 10 बैग्स (500 कि0ग्रा0 (10000 कि0ग्रा0 का 5 प्रतिशत／50 कि0ग्रा0 (प्रति बैग भार) कम्पोस्ट का उत्पादन होता है जिसका ₹180 प्रति बैग की दर से विक्रय किया जाता है। plant में उत्पादित कम्पोस्ट नगर परिषद की सम्पत्ति है तथा इसके विक्रय उपरान्त प्राप्त आय का नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट XVI)** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को plant से केवल ₹35000 की आय प्राप्त हुई थी जबकि plants को सुचारू रूप से चलाने हेतु M/S SR Associates को ₹627310 का भुगतान किया गया था। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद को कम्पोस्ट के विक्रय के पश्चात जो उपरोक्त आय प्राप्त हुई थी वह बहुत ही कम प्रतीत होती है। उपलब्ध करवाई गई जानकारी से यह भी स्पष्ट होता है अंकेक्षण अवधि के दौरान केवल 194 बैग्स (₹35000／180 प्रति बैग बैग्स) का विक्रय किया गया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। Plant की मासिक कूड़े की processing से सम्बन्धित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। यदि अंकेक्षण अवधि के दौरान एक माह में प्लांट की आधी क्षमता के बराबर 3600 Ton (150 ton प्रतिमाह X 24 माह) कूड़े की processing भी की जाती तो उस स्थिति में नगर परिषद को ₹648000 (3600 बैग्स X ₹180 प्रति बैग) की आय प्राप्त होती। अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पोस्ट के बैग्स के विक्रय से सम्बन्धित केवल ₹35000 जमा करवाना किसी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट किये जाने के साथ–2 इनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा अपने स्तर पर छानबीन करके कम्पोस्ट के विक्रय के कारण हुई हानि की गणना करके उसकी भरपाई उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

22 लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क सम्बन्धी अनियमितताएंः–

नियमानुसार नगर परिषद क्षेत्र में रेहड़ी धारकों को अप्रैल माह में निर्धारित दरों पर पूरे वर्ष के लिए रेहड़ी शुल्क जमा करवाकर लाईसैन्स नवीनीकरण करवाना अनिवार्य था, परन्तु नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट XVII** के अनुसार) के

सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद ने रेहड़ी धारकों से वर्ष 2015–16 तथा 2016–17 में निम्न तालिका अनुसार क्रमशः ₹171000 तथा ₹180000 लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क की वसूली की थी। कुल 147 लाईसैन्स धारकों में से वर्ष 2015–16 में केवल 114 से तथा वर्ष 2016–17 में केवल 100 रेडी धारकों से लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई थी जिससे यह स्पष्ट होता है नगर परिषद द्वारा सभी रेडी धारकों से नियमित रूप से लाईसैन्स नवीनीकरणी शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी जोकि अनियमित है। अभिलेख का रख रखाव भी इस प्रकार से नहीं किया जा रहा था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दिनांक 31.3.17 को लाईसैन्स धारकों से अलग–2 कितनी–2 लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क से सम्बन्धित राशि वसूली हेतु शेष थी। इस कारण दिनांक 31.3.17 को सभी लाईसैन्स धारकों से पिछली बकाया राशि सहित वसूली हेतु बकाया लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क से सम्बन्धित राशि बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 5.2.18 द्वारा इन अनियमितताओं बारे नगर परिषद को अवगत करवाया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा इनके बारे कोई भी औचित्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लाईसैन्स फीस की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 बकाया राशि की वसूली करके, अभिलेख का उचित रख रखाव करके तथा 31.3. 2017 को बकाया राशि की गणना करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 में लाईसेन्स नवीनीकरण शुल्क ₹1500 से बड़ा कर ₹1800 वार्षिक किये जाने से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस कारण ₹1800 वार्षिक दर से लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क की जा रही वसूली के सही की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यह आदेश आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

लाईसैन्स धारकों की सं0	**वर्ष**	**वार्षिक लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क**	**वर्ष के दौरान बकाया लाईसैन्स शुल्क की राशि**	**वर्ष के दौरान प्राप्ति**	**बकाया राशि**
147	2015–16	1500	220500 (147X1500)	171000 (114X1500)	49500
147	2016–17	1800	264600 (147X1800)	180000 (100X1800)	84600

23 पालतू कुत्ता शुल्क बारेः–

पालतू कुत्ता शुल्क पंजिका के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पंजीकृत कुत्तों को टोकन संख्या आबंटित की गई थी। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (**परिशिष्ट XVIII** के अनुसार) के सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद की वर्ष 2015–16 में तथा 2016–17 के अन्त में क्रमशः ₹24600 तथा ₹24500 कुत्ता शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगर परिषद द्वारा सभी कुत्ता मालिकों से नियमित रूप से कुत्ता शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी जोकि अनियमित है। साथ ही इस प्रकार के किसी भी अभिलेख का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि दिनांक 31.3.2017 को प्रत्येक कुत्ता मालिक से अलग–2 कितना कुत्ता शुल्क बकाया था। इस कारण दिनांक 31.3.2017 को वसूली हेतु शेष बकाया कुत्ता शुल्क से सम्बन्धित राशि बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 5.2.18 द्वारा कुत्ता शुल्क की बकाया राशि की वसूली न किये जाने के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण माँगा गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा इस बारे कोई भी औचित्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुत्ता शुल्क की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 बकाया राशि की वसूली करके, उचित अभिलेख का रख रखाव करके तथा 31.3.2017 को शुद्ध बकाया राशि की गणना करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

वर्ष	**नगर परिषद द्वारा जारी किये गये Tokens की सं0**	**वर्ष के दौरान जारी किये गए Tokens की सं0**	**जरी किये गए कुल ज्वामदे**	**वर्ष के दौरान बकाया कुत्ता शुल्क**	**वर्ष के दौरान प्राप्त कुत्ता शुल्क**	**बकाया राशि**
2015–16	498	शून्य	498	24900	300	24600
2016–17	498	शून्य	498	24900	400	24500
					योग	**49100**

24 दुकानों/स्टालों के किराए की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(i) दुकानों/स्टालों के किराए की बकाया राशि ₹116.32 लाख वसूली हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों/कारोबारियों को आबंटित स्टालों/दुकानों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं की

गई थी, जिसके कारण दिनांक 31.3.2017 को **परिशिष्ट "XIX"** के अनुसार ₹11631946 की वसूली शेष थी। नगर परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि को नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। सम्बन्धित पंजिका में कई दुकान/स्टाल धारकों के किराये निर्धारण, बकाया तथा प्राप्त राशियों से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे तथा अभिलेख का उचित रख रखाव न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली एवं अभिलेख को पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(ii) दुकानों/स्टालों का किराया न बढ़ाये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से अवगत करवाया गया था कि प्रत्येक दुकान/स्टाल का किराया प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात 10 प्रतिशत मासिक किराए के बराबर बढ़ाया जाता है। दुकानों/स्टालों के किराये निर्धारण, बकाया तथा प्राप्त राशियों से सम्बन्धित रजिस्टर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कई दुकानों के किराए पिछले कई वर्षों से नहीं बढ़ाये गए थे जोकि निम्नलिखित कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। किराया संशोधित न किये जाने के कारण अंकेक्षण अवधि में ही निम्नानुसार ₹3576 की हानि हुई थी जबकि किराया पिछले कई वर्षों से संशोधित नहीं किया गया था। यह प्रकरण Test Check के दौरान पाए गए कुछ ही प्रकरण है। अन्य दुकान/स्टाल धारकों के किराए Revise न किये गए हो इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दुकानों/स्टाल को किराए पर दिए जाते समय नगर परिषद द्वारा दुकान/स्टाल धारकों के साथ किये गये अनुबन्ध तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रति तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत किराया बढाये जाने से सम्बन्धित दस्तावेज/पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः किराए न बढ़ाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 समस्त दुकान/स्टाल धारकों के किराए जिनके किराए पिछले कई वर्षों से त्मअपेम नहीं किये गए है उनके किराए नियमानुसार Revise किये जाएं। साथ ही इस कारण नगर परिषद कोष को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके सम्बन्धित दुकान/स्टाल धारकों से उसकी वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त दुकान/स्टाल धारकों से किये गए अनुबन्ध तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रति तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत किराया बढ़ाये जाने से सम्बन्धित दस्तावेज/पत्र भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये

जाये तथा भविष्य में दुकानों तथा स्टालों के किराए नियमानुसार नियमित रूप से संशोधित किये जाने सुनिश्चित किये जाएं।

दुकान /स्टाल सं0	आबंटी का नाम	मासिक किराया	तीन वर्ष के पश्चात प्रति मासिक जितनी बढ़ौतरी होनी थी (मासिक किराए का 10 प्रतिशत)	अंकेक्षण अवधि के दौरान हुई हानि (मासिक किराया x 24)
38	श्री बाबू लाल सूद	440	44	1056
39	–यथोपरि–	330	33	792
53	हिमाचल फर्नीचर इंडस्ट्री	90	9	216
57	–यथोपरि–	90	9	216
58	–यथोपरि–	90	9	216
59	श्री किडू राम	55	6	144
62	हिमाचल फर्नीचर इंडस्ट्री	220	22	528
63	–यथोपरि–	165	17	408
			कुल योग	**3576**

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 17 दिनांक 26.2.18 द्वारा नगर परिषद के ध्यान में लाई गई थी तथा इनके सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करने का भी आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

25 नगर परिषद निधि से ₹463.80 लाख की पैन्शन का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा पैन्शन निधि की रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया था, जबकि पैन्शन अंशदान प्राप्ति व पैन्शन भुगतान के खाते रखे गए थे। पैन्शन निधि में जमा राशि का अलग बैंक खाता संख्या 10645 (आईडीबीआई बैक) रखा गया था। पैन्शन निधि में पर्याप्त राशि न होने पर सेवानिवृति कर्मचारियों को पैन्शन का भुगतान नगर परिषद निधि से किया गया है। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक नगर परिषद निधि से ₹46380180.05 का अनियमित रूप से पैन्शन का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण **"परिशिष्ट XX"** पर दिया गया है। नगर परिषद निधि में पैन्शन भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नगर परिषद निधि से पैन्शन का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पैन्शन अंशदान निधि की अलग

रोकड़ बही का निर्माण करके पैन्शन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा 31.3.2017 तक पैन्शन निधि से अनियमित रूप से भुगतान की गई ₹46380180.05 की उचित माध्यम से प्रतिपूर्ति करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 नगर परिषद निधि से ₹34.07 लाख की Gratuity का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा Gratuity निधि मे ंपर्याप्त राशि न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को Gratuity का भुगतान नगर परिषद निधि से किया गया है। नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक नगर परिषद निधि से ₹3406799 का अनियमित रूप से Gratuity का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण **"परिशिष्ट XX"** पर दिया गया है। नगर परिषद निधि में Gratuity भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नगर परिषद निधि से Gratuity का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा 31.3.2017 तक Gratuity निधि से अनियमित रूप से भुगतान की गई ₹3406799 की उचित माध्यम से प्रतिपूर्ति करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 दिनांक 31.3.17 तक ₹102.74 लाख के अग्रिम समायोजन हेतु शेषः–

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक ₹10273999 के अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे जिसका विवरण **"परिशिष्ट XXI"** पर दिया गया है। जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः नगर परिषद द्वारा अग्रिम की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अतिशीघ्र नियमानुसार सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी, आपूर्तिकर्ता तथा सरकारी विभागों से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा करवाई जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

28.1 व्यतीत न किए गए अर्जित अवकाश के भुनाने (leave encashment) के भुगतान मे ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान :–

श्री ज्ञान चन्द, सेवानिवृत कीमेन की सेवापन्जिका में LEAVEENCASHMENT के भुगतान से सम्बन्धित लीव के खाते की जाँच करने पर पाया गया कि सेवानिवृत कर्मचारी को leave cashment के भुगतान मे ₹2580 का अधिक भुगतान किया गया

जिसका विवरण **परिशिष्ट"XXI"** में संलगन है इस संदर्भ मे कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 दिनाक 27-02-18 के द्वारा अवगत करवाया गया था जिस संदर्भ मे कार्यकारी अधिकारी नेअंकेक्षण को पत्र संख्या सोलन-न.प-अंकेक्षण-2017-18 5559 दिनाक 5-03-18द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त राशी की बसूली अंतरिम राहत के बकाया के भुगतान से करकेअंकेक्षण को अबगत करवा दिया जायेगा|

28.2 गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तो के रूप में ₹0.10 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री पूरण चन्द. मेट को दिनांक 1.11.2015 से new assured carrear progression scheme (4-9-14) के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करके 1800 ग्रेड पे का भुगतान किया गया था, जबकि new assured carrear progression scheme की सूची के अनुसार **मेट** का वेतन 1800 ग्रेड पे के स्थान पर 1650 ग्रेड पे से भुगतान किया जाना था। अतः इस प्रकार **श्री पूरण चन्द. मेट** को **परिशिष्ट–XXIII** के अनुसार ₹9830 का अधिक भुगतान किया गया। उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24, दिनांक 27.02. 2018 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन के ध्यान में लाया गया था।

अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि रसीद संख्या 24 दिनाक 21.02.18. द्वारा नगर परिषद् निधि मे जमा कर दी जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है |

29 यात्रा भते दावे मे ₹6588 का अधिक भुगतानः-

(क) यात्रा भते दावे मे ₹948 का अधिक भुगतानः-

नगर परिषद् के माह 12/2016 के भुगतान बाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि बाऊचर संख्या 680 माह 12/2016 मे श्री आशीष आनंद वित् विशषेज्ञ को शिमला मे DES की ट्रेनिंग के लिए ₹1696 के यात्रा भते का भुगतान किया उक्त ट्रेनिंग दिनांक 21 और 22 अक्टूबर, 2016 को निदेशालय शहरी विकास कार्यालय में थी अधिकारी दिनांक21/10/16 प्रातः शिमला गया और सांय 6.30 बजे सोलन वापिस आया तथा दिनांक 22/10/16 प्रातः फिर शिमला गया

और सांय 6.30 बजे सोलन वापिस आया| अतः दिनाक 21/10/16 सांय सोलन आने तथा प्रातः 22/10/16 वापिस सोलन से शिमला जाने के लिये यात्रा भते दावे मे अपने बाहन से यात्रा की और उसका दावा ₹648 लिया जो TA Rules में दिए गए प्रावधानों के अनुसार देय नहीं था इसी प्रकार निदेशालय , शहरी विकास, द्वारा 21 और 22 अक्टूबर,2016 को DES training मे भाग लेने कर्मचारीयों के लिये ट्रेनिंग के दौरान खानपान तथा रहने का प्रबन्ध HOTEL ALPINE HERITAGE RESIDENCY, CART ROAD, TALLAND , SHIMLA किया था और TA RULES मे दिये प्रावधानों के अनुसार यदि प्रबास के दौरान खानपान तथा रहने का प्रबन्ध किया गया हो तो उस स्थिती मे कर्मचारी को दैनिक भत्ता 25% की दर से देय बनता था जबकि नगर परिषद् द्वारा ₹200 की दर से दो दिन का ₹400 का दैनिक भत्ता का भुगतान किया जो कि अनियमित था अतः इस प्रकार उक्त अधिकारी को ₹948 (648+300) का अधिक भुगतान किया गया जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी बसूली सम्बंधित कर्मचारी से करके नगर परिषद् निधि मे जमा की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अबगत करवाया जाये।

(ख) **यात्रा भत्ते दाबे मे ₹5640 का अधिक भुगतान:-**

(1) नगर परिषद् के माह 12/2016 के भुगतान बाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि बाऊचर संख्या 740 माह 12/2016 मे श्री अखिलेश सिंह प्रबंधक को सोलन से शिमला , सोलन से परवाणू,परवाणु से बद्दी, बद्दी से नालागढ़, नालागढ़ से अर्की तथा अर्की से सोलन तक की यात्रा के लिये ₹8800 के यात्रा भते का भुगतान किया जिसकी जांच करने पर पाया गया कि T.A. RULES के अंतर्गत दिये प्राबधान के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित् बिभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत यदि कर्मचारी अपने निजी बाहन से या फिर निजी टैक्सी द्वारा यात्रा करता है तो उस कर्मचारी को ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा जबकि कर्मचारी ने शिमला से सोलन तथा वापसी के लिये टैक्सी से यात्रा कर ₹1500 के टैक्सी चार्जेज अपने यात्रा भते दावे मे लिये जबकि कर्मचारी को तय दूरी के अनुसार शिमला से सोलन तथा वापसी के आधार पर 90 किलोमीटर का ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से ₹720 का यात्रा भाता दावे मे

भुगतान किया जाना अपेक्षित था | अतः इस प्रकार कर्मचारी को यात्रा भाता दावे मे ₹780 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है| जिसकी जाँच अपने स्तर पर करते हुये इस किए गये अधिक भुगतान की बूसली कर अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये |

(2) इसी प्रकार श्री अखिलेश सिंह प्रबंधक द्वारा सोलन से परवाणू,परवाणु से बद्दी, बद्दी से नालागढ़, नालागढ़ से अर्की तथा अर्की से सोलन तक की यात्रा के लिये यात्रा भते दाबे मे दिनाक 27-12-16 से 29-12-16 तक कमर्शियल टैक्सी से यात्रा की जिसके लिये उन्होंने ₹6500 का टैक्सी किराये का भुगतान अपने यात्रा भाता दाबे मे किया | इस यात्रा भते दाबे की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी ने दिनांक 27-12-16 को सोलन से परवाणू,परवाणु से बद्दी तथा बापिस सोलन यात्रा दर्शा कर अगले दिन सोलन से नालागढ़ तथा नालागढ़ से सोलन की यात्रा की तथा फिर दिंनाक 29-12-16 को सोलन से अर्की व अर्की से सोलन यात्रा कर यात्रा भते मे दर्शा कर यात्रा भते दाबे का भुगतान लिया | जबकि नियमानुसार इस कर्मचारी को सोलन से लगातार यात्रा करते हुये सोलन से नालागढ़ से अर्की से सोलन बापिस आना था| ऐसा न करने पर कर्मचारी द्वारा 173 किलोमीटर के लगभग यात्रा अधिक दर्शाकर तथा Actual taxi fare के आधार पर यात्रा भते मे यात्रा के खर्च की प्रतिपूर्ति ली जबकि T.A. RULES के अंतर्गत दिये प्राबधान के अनुसार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित् बिभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्दशों के अंतर्गत यदि कर्मचारी अपने निजी बाहन से या फिर निजी टैक्सी द्वारा यात्रा करता है तो उस कर्मचारी को ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किये जाने का प्रावधान है जिस आधार पर कर्मचारी को केवल 205 किलोमीटर का ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से ₹ 1640 का ही भुगतान किया जाना था अतः इस यात्रा भत्ता दावा बिल मे ₹4860 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है| जिसकी जाँच अपने स्तर करते हुए इस अधिक भुगतान की बसूली सम्बंधित से की जाए तदानुसार अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जायें| इस बारे अंकेक्षण अधियांचना संख्या 28 दिनांक 1-03-18 द्वारा स्पष्टीकरण देने बारे लिखा था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर प्राप्त नही हुआ

30 बिजली के बिलों में Sundry Charges ₹0.70 लाख बकाया राशि ₹30.76 लाख के भुगतान बारेः–

1 नगर परिषद ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को वाउचर संख्या 292, माह 6/15 ₹153760 व वाउचर संख्या 719 व 720 माह 12/16 क्रमशः ₹93789 तथा ₹604001 द्वारा बिलों का भुगतान कियां इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी इन बिजली के बिलों में ₹69657 Sundry Charges लगाये गये थे तथा कुछ एक बिजली के बिलों में बकाया ₹3075776 को भी दर्शाया गया था। जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	खाता सं0/बिल सं0	कुल राशि का बिल	Sundry Charges की राशि	पिछले महीनों का अदत्त
1	11213 CHSL1000001 to 111246674800	22519	19778	––
2	11213CHSL 10000002 to 11246674800	22923	20450	––
3	11212KHSL10000001	20910	13304	––
4	11212KRSL10000001	9892	470	––
5	11212SGSL10000001	253987	651	246297
6	11212KNSL10000001	546287	660	527437
7	11212THSL10000001	258187	1204	245666
8	KF11000038	11935	900	––
9	RRS1000000	259366	1970	248544
10	LCSL1000000	173673	1825	158075
11	MTSL1000000	259509	978	247397
12	BSSL1000000	16741	1201	––
13	SLS1000000	9883	625	––
14	BRSL1000000	4377	449	––

15	ITSL1000000	16969	862	——
16	SNSL1000000	256005	608	247013
17	MDSL1000000	256570	1204	247692
18	MCSL1000000	256571	1049	247514
19	MRSL1000000	234013	720	233178
20	JRSL1000000	253255	749	247208
21	11211HCG150002	192802		179755
	Total	**3336374**	**69657**	**3075776**

बिजली के बिलों में Sundry Charges के रूप में दर्शाये गये ₹69657 का विस्तृत विवरण अभिलेखों में स्पष्ट नहीं था तथा न ही इस बारे किए Sundry Charges के रूप में ₹69657 हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को भुगतान करना अनियमित था। अतः नगर परिषद इस प्रकरण को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से उठाकर पता करें कि यह Sundry Charges किस लिए वसूल किये गये। इसके साथ–साथ नगर परिषद द्वारा इन बिलों में ₹3075776 के पिछले महीनों के अदत बिलों का भी भुगतान किया गया था जिसका विवरण उक्त तालिका में दर्शाया गया है जिसमें अधिभार भी सम्मिलित था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को बिजली के बिलों में जो अधिभार के रूप में भुगतान किया जोकि अनियमित था जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26, दिनांक 1.3.2018 द्वारा उक्त वर्णित अनियमितताओं के बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए लिखा था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नगर परिषद इस प्रकरण को बिजली विभाग से उठाकर वास्तविकता का पता करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

31 निर्माण कार्यो मे ₹0.49 लाख का अधिक भुगतानः-:–

(क) निर्माण कार्य का नाम : R/M of Path Dada Chela Ram Ashram (S/H:Providing Tiles and railing Phase-II ward N0. 1)

संविदाकार का नामः SH. Nain Singh Contractor

आबंटन पत्र संख्या : MC/Works/2014-3190 dtd.3/12/14

माप पुस्तिका सं0 : 297 पृ0 65 से 67

बिल सं0 : प्रथम एवं अतिम बिल

(i) निर्माण कार्य में ₹2300 का अधिक भुगतान की सम्भावना

उक्त वर्णित निर्माण कार्य का भुगतान श्री नैन सिंह संविदाकार को वाउचर सं0 316/67 के द्वारा ₹147068 का किया। इस निर्माण कार्य से सम्बधित माप पुस्तिका सं0 297 पृ0 65 से 67 में की प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि मद "Steel work welded build up sections, trusses and framed work ,including cutting ,hosting fixing in position and greetings, framed guard bars, ladders, railing brackets and similar works M.S. plate" के निष्पादन में Steel का भार निकालते समय जो factor लगाया गया था वे नियमानुसार ज्यादा लगाने पर संविदाकार को भुगतान में ₹2300 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माप पुस्तिका सं0 297 पृ0 66 मद 3/10

Steel work welded build up sections trusses and framed work including cutting, hosting, fixing in position and applying a primary coat of red led paint.

50×50 / Pipe :-	1×45×1.50= 67.50 Rmt.
Geeta house to temple adjoing:	1×45×.30=13.50 Rmt
Total	**81.00×2.98 =241.30 kg**

नियमानुसार प्रति किलो ग्राम के लिये 2.66 का factor लगाया जाना **था**। जिसके अनुसार निर्माण कार्य पर 215.46 kg स्टील लगाना था इस प्रकार संविदाकार को 25.84 किलो स्टील के लिए ₹2300 (25.84 kg ×89/- per kg) का अधिक भुंगतान किया गया प्रतीत होता है। **इस संदर्भ मे कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सोलन को अंकेक्षण अधियाचना संख्या** 32 **दिनांक** 1-03-18 द्वारा स्थिति **स्पष्ट करने बारें** अनुरोध किया गया था। **परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक** उनके द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया **गया**| **अतः** इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा उपरोक्त **अधिक भुगतान की** बसूली संविदाकार से करके नगर परिषद कोष में जमा की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

(ii) विक्रय कर ₹1471 की कम कटौती करने बारेः–

उपरोक्त निर्माण कार्य i.e.R/M of Path Dada chela Ram Ashram (S/h: Providing tiles and railing Phase-II ward N0. 1) के प्रथम एवं अतिम बिल के भुगतान ₹147068 में नगर परिषद द्वारा 3% की दर से विक्रय कर की कटौती ₹4412 की जानी अपेक्षित थी जबकि नगर परिषद ने ठेकेदार को भुगतान करते समय माप पुस्तिका सं0 297 पृ0 67 में विक्रय कर ₹2941 की कटौती करके ₹124272 का भुगतान किया जबकि संविदाकार को कुल भुगतान ₹121331 किया जाना था अतः विक्रय कर की कम कटौती कर ₹1471 का अधिक भुगतान किया जिस बारे स्थिति स्पष्ट **करने बारें कार्यकारी अधिकारी , नगर परिषद् सोलन को अंकेक्षण अधियाचना संख्या** 32 **दिनांक** 1-03-18 द्वारा **अबगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक** उनके द्वारा इस सन्दर्भ में **अबगत नहीं करवाया गया अतः** बिक्री कर ₹1471 जो विक्रय कर के रूप में संविदाकार के बिल से कम कटौती की उसकी वसूली शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

(ख) निर्माण कार्य का नामः– Repair of drain in ward No. 6 in front of Kailash Sood House (SH:-CC 1:2:4, 1:6:12 and chamber etc)

संविदाकार का नामः– Sh. Mohamad Akram Contractor

आबंटन पत्रः– M.C./Works/2015-5335 dated 10.2.2016

माप पुस्तिका सं0ः– 320 पृष्ठ 46 से 48

बिल सं0ः– 2nd and Final Bill

उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹42403 का भुगतान वाउचर संख्या 689, दिनांक 16.12.16 द्वारा किया गया था। इस निर्माण कार्य के बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 320 पृष्ठ 46 से 48 की गई प्रविष्टियों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

गलत गणना करने के फलस्वरूप ₹8640 का अधिक भुगतान करनाः–

निर्माण कार्य में Steel work welded build up sections, trusses and framed work including curring, hosting fixing in position and applying a priming coat of red lead paint in greetings framed guard bars, ladders, railings brackets and similar works MS flates की पैमाईश (Measurement) में जो कन्वर्शन फैक्टर लगाये है वह गलत लगाकर ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मप पुस्तिका संख्या 320 पृष्ठ 46 में ली गणना	जितनी वास्तविक में गणना बनती है	अधिक मात्रा	दर	अधिक भुगतान
M/S Angle 50x50x4mm	M/S Angle 50x50x4mm			
L-side 2x1x1.52=3.04Rmt	L-side 2x1x1.52=3.04 Rmt	9.06 Kgs		
S-side 2x1x0.48=0.96 Rmt	S-side 2x1x0.48=0.96 Rmt			
X-angle 14x1x0.48=6.72 Rmt	X-angle 14x1x0.48=6.72 Rmt			
Hold fast 4x1x0.15=0.60 Rmt Total=11.32 Rmt @3.80=43.02Kgs	Hold fast 4x1x0.15=0.60 Rmt Toal=11.32 Rmt @ 3.00=33.96 Kgs			
Out frame angle 50x50x4mm	Out frame angle 50x50x4mm	27.27 Kgs		
I-side 12x2x0.94=22.56 Rmt	I-side 12x2x0.94=22.56 Rmt			
S-side 12x2x0.48=11.52Rmt	S-side 12x2x0.48=11.42 Rmt			
Total=34.08 @3.80=129.51 Kg	Total=34.08@3.00=102.24Kg			
Inner frame angle 45x45x4mm	Inner frame angle 45x45x4mm	29.19 Kgs		
I-side 12x2x0.90=21.60 Rmt	I-side 12x2x0.90=21.60 Rmt			
S-side 12x2x0.44=10.56Rmt	S-side 12x2x0.44=10.56Rmt			
Hold fast 12x4x0.15=7.20 Rmt	Hold fast 12x4x0.15=7.20Rmt			
Total=39.36 Rmt@3.44=135.46 Kgs	Total=39.36 Rmt @ 2.70 Kgs=106.27 Kgs			
45x45x4mm angle=	45x45x4mm angle=			
12x9x0.44=47.52 Rmt @3.44=163.47 Kgs	12x9x0.44=47.52Rmt@2.70 Kgs=128.30 Kgs	35.17 Kgs		

14 no's frame angle 50x50x4	14 no's frame angle 50x50x4	2.28 Kgs		
Outer	Outer			
L-side=2x1x0.94=1.88 Rmt	L-side=2x1x0.94=1.80 Rmt			
S-Side=2x1x0.48=0.96 Rmt	S-Side=2x1x0.48=0.96 Rmt			
Total=2.84Rmt 3.80=10.80Kgs	Total=2.84Rmt 3.00=8.52 Kgs			
Angle 45x45x4mm inner	Angle 45x45x4mm inner	2.42 Kgs		
L-side=2x1x0.90=1.80 Rmt	L-side=2x1x0.90=1.80 Rmt			
S-Side=2x1x0.44=0.96Rmt	S-side=2x1x0.44=0.96 Rmt			
Hold fast= 2x2x0.15=0.60Rmt	Hold fast= 2x2x0.15=0.60Rmt			
Total=3.28Rmt@3.44Kgs=11.28Kgs	Total=3.28Rmt@2.70Kgs=8.86Kgs			
		105.36 Kgs	82	8639.52

अतः इस प्रकार संविदाकार को इस मद में गलत फैक्टर लगाने के कारण ₹8640 (105.36 कि0ग्रा0x ₹82) (493–48कि0ग्रा0–388.15 कि0ग्रा0) का अधिक भुगतान किया गया, जिसे बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई ₹8640 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) निर्माण कार्य का नाम : C/O Stair and Railing in ward N0. 1 (Sh: Providing and Laying Tiles and Railing)

संविदाकार का नाम :– Sh. Shankar Dass

आवंटन संख्याः– MC/Works/ 2014-3573 Dated 1/1/15

माप पुस्तिका सं0ः– 296 पृ0 सं0 60 से 63 तथा 297 पृ0 सं0 55 से 57

बिल सं0ः– द्वितीय एवं अंतिम बिल

निर्माण कार्यों में ₹503 का अधिक भुगतान

उक्त वर्णित निर्माण कार्य में श्री शंकर दास को वाउचर सं0 253/55 माह 6/15 के द्वारा ₹88343 का भुगतान किया गया। इस निर्माण कार्य से संम्बधित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नलिखित आपतियां पाई गईः–

(1) इस निर्माण कार्य के लिये आमंत्रित निविदाओं में NIT में कार्य का नाम :– Repair and Maintenace of Offices colony to JBT Road (S/H:- P/L Mash work) ward N0.10 दर्शाया गया तथा माप पुस्तिका सं0 296 पृ0 60 में निर्माण का नाम C/o Stair and Railing in ward N0. 10 office colony to JBT road (Sh: P/L Mash work) दर्शाया गया **था और माप पुस्तिका संख्या** 296 **पृष्ठ** 60 **मे निर्माण कार्य का नाम** " c/o stairs & railing in ward No 10 office colony to JBT road(SH: P/L mashwire) **दर्शाया गया** जबकि आबंटन पत्र सं0 MC/work/ 2014-3573 dated 1-1-15 में निर्माण कार्य का नाम " C/O Stair and Railing in ward N0. 10 Sub-Head Providing Tiles and Railing work) दर्शाया गया **था** । जब इस निर्माण कार्य का द्वितीय तथा अंतिम बिल **के** भुगतान **से सम्बन्धित** माप पुस्तिका सं0 297 पृ0 55 से 57 **की जाँच करने पर पाया गया कि इस** निर्माण कार्य का नाम C/O Stair and Railing in ward N0. 1 (SH: Providing Tiles and Railing work) **ही दर्शाया गया** था। **अतः** इस प्रकार की भिन्नता के बारे स्थिति स्पष्ट करें और बस्तुस्थिति से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

(2) इस निर्माण कार्य में निष्पादित मद "Steel work welded build up sections, trusses and framed work including cutting,hosting fixing in position and applying a priming coat of red lead paint in greetings, framed guard bars, ladders eailing brackets and similar works" **में गलत** conversion factor **लगाने के कारण ठेकेदार को इस मद मे** ₹503 **का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है| जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-**

माप पुस्तिका संख्या 296 के पृष्ठ 61में ली प्रविष्टि	वास्तविक मे जितनी गणना लेनी थी	जितनी मात्रा अधिक ली	दर प्रति किलो	कुल अधिक भुगतान
Angle equal 40x40x5 mm Horizental 4x1.94=7.76 2x1.67=3.34 2x2.00=4.00 2x4.05=8.10 2x2.21=4.42 Vertical pt. 12x1.75=21.00 hold frt. 12x0.30=3.60 total=52.22 Rmt.x3.00 kgs.=**156.18 kgs** MS Flat40x6=12x1.18=14.66 x1.900 kgs=**26.90 kgs** Flat20x5mm=2x12x1.18= 28.32 rmt. 1x27.56=27.56Rmt total=55.88Rmtx0.900kgs= **50.29kgs** Total kgs=156.18+26.90+50.29=233.37kgs	Angle equal 40x40x5 mm Horizental 4x1.94=7.76 2x1.67=3.34 2x2.00=4.00 2x4.05=8.10 2x2.21=4.42 Vertical pt. 12x1.75=21.00 hold frt. 12x0.30=3.60 total=52.22 Rmt.x3.00 kgs.=**156.18 kgs** MS Flat40x6=12x1.18=14.66 x1.900 kgs=**26.90 kgs** Flat20x5mm=2x12x1.18= 28.32 rmt. 1x27.56=27.56 Rmt total=55.88Rmt x0.800kgs=**44.70kgs** Total kgs=156.18+26.90+44.70=227.78Kgs	5.59 kgs	90/-	503.00

अतः इस निर्माण कार्य मे जो संविदाकार को गलत गणना के कारण ₹503 का जो अधिक भुगतान किया गया इस संदर्भ मे कार्यकारी अधिकारी , नगर परिषद् सोलन को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 1-03-18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारें लिखा था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में अबगत नहीं करवाया गया| अतः जिसकी अब स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक किये गया भुगतान कि बसूली संविदाकार से करके नगर परिषद मे जमा की जाये और आगामी अंकेक्षण को अबगत करवाया जाये |

(घ) निर्माण कार्य का नामः– **R/R of Nallah near culvert in ward No. 12, Dhobighat Guleria house to Shandil house, Solan**

Name of the Contractor:- **Sh. Om Prakash**
Award letter & date:- **M/C/Works/2016-5012 dated:-23.9.16**
M.B. No. & Page No.:- **313 Page No. 87 to 89**
BNill No. first & final bill

निर्माण कार्य पर ₹3709 के अधिक भुगतान बारे

इस निर्माण कार्य का भुगतान वाउचर संख्या 695 माह 12/16 द्वारा श्री ओम प्रकाश संविदाकार को किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 313 पृष्ठ 87 से 89 की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित मद Random rubble masinery/polygoynal (uncrossed/brought to course) with hard stone of approved quality in foundation and plinth including leveling up eith cement concrete (1 cement:6 sand:12 graded stone aggregate 20 mm nominal size) at plinth level. In cement mortar 1:6 (1 cement:6 Sand)35.52m3 निर्माण स्थल पर की गई परन्तु इस मद में जो पत्थर उपयोग किये गये उन पत्थरों कि रॉयल्टी बिल की राशि से न करके सीधे भुगतान कर दिया गया। जबकि नियमानुसार बिल का भुगतान करने से पूर्व ₹105 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ₹3709 (35.32m3x105) की कटौती करने के बाद ही बिल का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद ने इस निर्माण कार्य पर Random Rubble Masonery जो पत्थर उपयोग किये गये उन पत्थरों की रॉयल्टी बिल की राशि से न काट करके सीधे भुगतान करने पर संविदाकार को ₹3709 का अधिक भुगतान किया। अतः इस

किये गये अनियमित/अधिक भुगतान ₹3709 बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ङ) निर्माण कार्य का नामः– P/L PVC pipe from chowk bazaar to Ganj bazaar Solan

संविदाकार का नामः– Sh. Anil Chauhan

आबंटन पत्रः– M.C/works/2015-2467 dated 22.9.15

माप पुस्तिका संख्याः– 2nd & final bill

(i) गलत गणना करने के फलस्वरूप ₹2240 का अधिक भुगतान करनाः–

उक्त निर्माण कार्य हेतु ₹16722 का भुगतान वाउचर संख्या 688, दिनांक 9.12.16 द्वारा किया गया था। इस निर्माण कार्य के बिल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 303 पृष्ठ 78 से 81 तथा 318 पृष्ठ 71 से 74 पर की गई प्रविष्टियों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

उपरोक्त निर्माण कार्य में P/L cement concrete 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and curing complete excluding the cost of form work in foundation and plinth की पैमाईश (measurement) माप पुस्तिका में निम्न प्रकार से की गई।

माप पुस्तिका संख्या 318 पृष्ठ 72 में ली गणनाः–

माप पुस्तिका संख्या 303 पृष्ठ 76 से ली गणना=0.114एम3

माप पुस्तिका संख्या 318 पृष्ठ 80 से ली गणना=7.81एम3

कुल गणना=8.25एम3

जितनी गणना अधिक ली गई=0.33एम3

मद की दर=₹3000 per m3

अधिक भुगतान=0.33m3x3000=990

अतः इस प्रकार संविदाकार को इस मद में गलत गणना के कारण ₹990 का अधिक भुगतान किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अधिक भुगतान ₹990 की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) गलत गणना के कारण ₹1250 का अधिक भुगतान :–

उक्त के अतिरिक्त इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्किा संख्या 303 के पृष्ठ 79 में मद P/L cement concrete 1:2:4 (1 cement 2 sand 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth की प्रविष्टि में अधिक मात्रा लेने पर संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

माप पुस्तिका संख्या 303 पृष्ठ 7 में ली गणना	जितनी वास्तविक में गणना बनती है	अन्तर
1x4.10x0.50x0.05=0.1m3	1x4.10x0.50x0.05=0.1m3	
1x5.10x0.05x0.05=0.13m3	1x5.10x0.05x0.05=0.13m3	
1x6.10x0.50x0.05=0.15m3	1x6.10x0.50x0.05=0.15m3	
1x10.30x0.50x0.05=0.25m3	1x10.30x0.50x0.05=0.25m3	
1x3.60x0.50x0.05=0.09m3	1x3.60x0.50x0.05=0.09m3	
1x14.30x0.50x0.05=0.35m3	1x14.30x0.50x0.05=0.35m3	
1x6.10x0.50x0.05=0.15m3	1x6.10x0.50x0.05=0.15m3	
1x7.30x0.50x0.05=0.18m3	1x7.30x0.50x0.05=0.18m3	
1x6.00x0.50x0.05=0.15m3	1x6.00x0.50x0.05=0.15m3	
1x17.00x0.50x0.05=0.42m3	1x7.00x0.50x0.05=0.17m3	
1x12.40x0.50x0.05=0.31m3	1x12.40x0.50x0.05=0.31m3	
Total= 2.47m3	Total=2.22m3	0.25m3

अतः इस प्रकार संविदाकार को इस मद में गलत गणना के कारण ₹1250 (0.25m3x₹5000) (2.47m3-2.22m3=0.25m3) अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) निर्माण कार्य का नामः– **c/o Road path from ward no. 7 to Patrar ward n. 11 (Sh.:- c/o R/wall Rd**

संविदाकार का नामः– Vivek Obroi

आबंटन पत्र सं0ः– M/c works 2015 -118 dated 8/4/2015

माप पुस्तिका सं0 एवं पृष्ठ :– 300 पृष्ठ 13 –14

बिल सं0 :- **प्रथम चलत बिल**

₹616 का अधिक भुगतान

उक्त निर्माण कार्य का भुगतान ₹52,111 बाउचर सं0 230/41 माह 6/15 द्वारा संविदाकार को किया इस निर्माण कार्य से सम्बधित माप पुस्तिका सं0 300 पृष्ठ 13–14 में की प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को इस बिल में अनियमित /अनुचित लाभ दिया गया प्रतीत होता है क्योंकि निष्पादित **मद** 'Excavation in foundation & trenches in earthwork lift up to 1.50 mtr stacking the excavated soil not more than 3 mtr clear from the edge of the excavation and than returing the stacked soil in 15 cm layers when required in to plinth sides of foundations etc.' Rd c/o 16.15 to 22.30 की गणना को temparing किया गया प्रतीत होता है:–

पहले ली गई प्रविष्टी RD 0/16.5 से 22.30 =1×1×6.15×1.3×0.6+1/2 =7.59m3

तथा **इस मद का जो** भुगतान बनाया गया = 7.59×220=1669.80

परन्तु इस मद की गणना को पुनः से 0.6+1/2 को overwriting कर 0.6+2/2 से बढा **कर** निम्न प्रकार **से भुगतान किया गया** :- RD 0/16.15 to 22.30 =1×1×6.15×1.3×0.6+2/2=10.39m^3×220=2286/-

अतः इस प्रकार नगर परिषद द्वारा संविदाकार को इस मद में ₹616.20(2286-1669.80) का अधिक /अनियमित भुगतान किया गया। अतः नगर परिषद इस प्रकरण में अपने स्तर पर छानवीन कर वास्तविकता का पता करे तदानुसार वस्तुसिति से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाये और इसके साथ इस निर्माण कार्य से सम्बधित स्वीकृत अनुमान पत्र तथा टैडर आमंत्रित प्रविष्टियों से सम्बधित अभिलेख भी आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें |

(छ) Name of work:- Repair and maintenance of road Housing Board Phase-1 S/H Renewal coat from block No. 4 to Sood house No. 14

Contractor Name :- Sh. Subhash Chand Rana

Award letter No.:-MC/works/2016-1668 dt 08.6.16

MB No.:- 309 Page -97 to 98

Bill No. First and Final bill

गलत गणना के कारण ₹831 का अधिक भुगतान

(i) नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्य का भुगतान ₹208080 का वाउचर संख्या 703 दिनांक 16.12.16 द्वारा किया गया। इस भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 309 पृष्ठ 97 से 98 में किये गये कार्यों की मदों की प्रविष्टियों की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मदों में गणना को अधिक लेकर भुगतान किया जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹831 का अधिक भुगतान किया गया।

1 Providing and laying of open graded premium carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm to 5.6 aggregates either ming penetration grade bitumen or emulsion to required shine, grade and land to rescue on meaning course as previously proposed base, including mixing in retable plant laying and rolling with a three 80-100 static roller capacity, finished to required lead and grades to be followed by seal coat of either type B as per technical specification clause 508 by manual means, bitumen.

MB No. 309 Page no. 98 में की गई प्रविष्टि=512.60

जितनी गणना बनती थी=509.98

जितनी अधिक ली=2.62 Sqr.mtr.

इस प्रकार उपरोक्त मद में ₹235 per Sqr mtr की दर से ₹615.70 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

(ii) इसी प्रकार मद "P/L seal coat sealing the voids in bitumen surface laid to the specified leads, grade and cross fall using type (B) per technical specification clause 510 bitumen (S-90) में भी निम्न प्रकार से गलती पाई गई।

MB No. 309 Page No. 98 में ली गई प्रविष्टि=512.60

जितनी गणना बनती थी=509.98

जितनी अधिक ली=2.62 sqr. Mtr

इस प्रकार इस मद में ₹214.84 (2.62 per sqr mtr x 82 per sqr mtr) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि अपने स्त्तर पर करके किए गये अधिक भुगतान की वसूली अपने स्त्तर पर करके आगामी लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि करवाई जाए।

(iii) बिना खपत विवरणी (consumption statement) तैयार किए बिल से निर्माण कार्य को जारी bitumen की वसूली करने बारेः–

नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य के लिये यदि विभाग ठेकेदार को निर्माण कार्य के लिये सामग्री जारी करता है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल से स्थल पर उपयोग की सामग्री की नियमानुसार खपत विवरणी (Consumption Statement) के आधार पर वास्तविक गणना करके की जाती है तथा यदि कोई सामग्री अनुपयोग हो तो ठेकेदार को वह सामग्री विभाग को वापिस करनी होती है यदि ठेकेदार अनुपयोग सामग्री को विभाग में वापिस नहीं करता तो विभाग नियमानुसार अनपुयोग सामग्री की वसूली ठेकेदार के बिल से दोहरे दर से कटौती करने का प्रावधान है जबकि इस निर्माण कार्य का भुगतान ठेकेदार को बिना खपत विवरणी (consumption statement) बनायें कर दिया गया जोकि Works नियमों की सरासर अवहेलना थी। अतः बिना खपत विवरणी (Consumption Statement) बनाये ठेकेदार को बिल का भुगतान कर देने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उसकी खपत विवरणिका बनाकर उस आधार पर ठेकेदार से सामग्री की वसूली की जाये तदानुसार अंकेक्षण में पुष्टि करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(ज) निर्माण कार्य का नामः– RR of Nallah near culvert in Ward No. 12, Dhobighat Guleria house to Shandil house, Solan

Name of the Contractor:- Sh. OM Praksh

Award letter & date:- MC/works/2016-5012 dated 23-9-16

M.B. No. & Page No.:- 313 page No. 87 to 89

Bill No.:- First & final bill

बिना रायल्टी की कटौती किए ₹3709 का अधिक भुगतानः–

इस निर्माण कार्य का भुगतान वाउचर संख्या 695 माह 12/16 द्वारा श्री ओम प्रकाश संविदाकार को किया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 313 पृष्ठ 87 से 89 की जाँच करने पर पाया गया कि निष्पादित मद (Random rubble masonery/polygoynal (Uncrossed/brought to course) with hard stone of approved quality in foundation and plinth including leveling up eith cement concrete (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 20mm nominal size) at plinth level in cement mortar 1:6 (1 cement 6 sand) 35.32 m3 निर्माण स्थल पर की गई परन्तु इस मद में जो पत्थर उपयोग किये गये उन पत्थरों की रॉयल्टी बिल की राशि से न करके सीधे

भुगतान कर दिया गया जबकि नियमानुसार बिल की राशि से भुगतान करने से पूर्व ₹105 प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ₹3709 (35.32m3x105) कटौती करने के बाद ही बिल का भुगतान किया जाना अपेक्षित था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद ने इस निर्माण कार्य पर Random rubble masonery जो पत्थर उपयोग किये गये उन पत्थरों की रॉल्यटी बिल की राशि करके सीधे भुगतान करने पर संविदाकार को ₹3709 का अधिक भुगतान किया गया। अतः इस किये गये अनियमित/अधिक भुगतान ₹3709 की वसूली सम्बन्धित से करके नगर परिषद निधि में जमा की जाये तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

(झ) गलत गणना के कारण संविदाकारों को ₹1741 का अधिक भुगतान करनाः–

ठेकेदार का नामः– Sh. Sukhvinder Singh

वाउचर संख्याः– 26, दिनांक 11.5.15=₹557423

कार्य का नामः– P/F of interlocking tiles on work shop road in ward No. 6 of Nahan Town (RD 300 to RD 360)

चलत बिल संख्याः– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्याः–36524 Page No. 84 to 90

आबंटन पत्रः– 22/15 dated 7.5.15

कार्य मद संख्या 3/4 (माप पुस्तिका संख्या 36524 पृष्ठ 86 abstract of cost) "Providing mild steel/tor steel reinforcement for RCC work including bending binding and placing in postion complete up to floor two level tor steel including carriage of materials for all lead and lift" की कुल कार्य प्रमात्रा 495.50 किलोग्रा ₹65 प्रतिकिलो की दर से ठेकेदार को ₹32208 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की की माप पुस्तिका संख्या 36524, पृष्ठ 84 से 90 तक पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों की जाँच करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 26.78 किलो की प्रमात्रा का ठेकेदार को ₹1741 (26.78 Kgs x ₹65 per Kg) का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य मद का नाम व सं0	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति वर्ग मी0 (₹) में	अधिक भुगतान राशि (₹)
Providing mild steel/tor steel reinforcement for RCC work including bending binding and placing in position complete up to floor two level tor steel including carriage of materials for all lead and lift	1 dia 10 mm RHS 1x3.2x21.60=129.60 rmt 1x2x2x15=60rmt 1x2x2x15=60rmt 1x2x2x3.40=13.60 rmt LHS 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x10=40 rmt Total =483.20 rmt Striupps 8 mm dia RHS 1x106x105=159rmt 1x165x1=165 rmt LHS 1x172x1=172 rmt Total 496 rmt 10 mmdia 483.20 rmtx0.62=299.58 Kgs 8 mmdia=496rmt x 0.395=195.92 Kgs Total= 495.50 Kgs	1 dia 10mm RHS 1x2x2x21.60=86.40 rmt 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x3.40=13.60 rmt LHS 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x15=60 rmt 1x2x2x10=40 rmt Total 440rmt Striupps 8 mm dia RHS 1x106x105=159rmt 1x165x1=165 rmt LHS 1x172x1=172 rmt Total 496 rmt 10 mmdia 440 rmt x 0.62=272.80 Kgs 8 mm dia= 496 rmt x 0.395=195.92 Kgs Total=468.72 Kgs	26.87 Kgs	65	1741

(ञ) निर्माण कार्य में ₹1690 का अधिक भुगतानः—

निर्माण कार्य का नामः— C/O path near Rawat house to flora hotel in ward No. 3 (Sh. Checkered tiles ansd brick works)

संविदाकार का नामः— Sh. Nain Singh

माप पुस्तिका संख्यां एवं पृष्ठ संख्याः– माप पुस्तिका संख्या 294, पृष्ठ संख्या 61 से 62

बिल संख्याः– प्रथम एवं अन्तिम बिल

आबंटन पत्र संख्याः– एमसी / वर्कस / 2014–2563 व दिनांक 31.10.2014

उक्त वर्णित निर्माण कार्य का भुगतान श्री नैन सिंह संविदाकार को (प्रथम एवं अन्तिम बिल) वाउचर संख्या 236 A/45 माह 6 / 15 द्वारा ₹134410 का किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि मद (R/R MASONARY/POLYGONAL RUBBLE MASONARY (UN COURSED/BROUGHT TO COURSE) WITH HARD STONE OF APPROVED QUALITY IN FOUNDATION AND PLINTH INCLUDING LEVELING UP WITH CEMENT CONCRETE (1 CEMENT 6 SAND 12 GRADED STONE AGGREGATE OF 20 MM NOMINAL SIZE) AT PLINTH LEVEL IN CEMENT MORTAR 1:6 (1 CEMENT 6 SAND) का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया।

माप पुस्तिका के अनुसार प्रविष्टिः–

1x1x8.05x0.80+1.20/2x1.40+2.10/2	14.09m3
1x1x4.55x1.80x0.50+0.70/2	4.91m3
1x2x4.55x0.90+0.60/2x1.10+1.25/2	8.53m3
1x1x5.60x0.60+0.90/2x0.40+0.60/2	2.10m3
वास्तविक में जितनी प्रविष्टि बनती थी	29.63 m3
1x1x8.05x0.80+1.20/2x1.40+2.10/2	14.09 m3
1x1x4.55x1.80x0.50+0.70/2	4.91m3
1x2x4.55x0.90+0.60/2x1.10+1.25	8.01 m3
1x1x5.60x0.60x0.90/2x0.40+0.60/2	2.10m3
	29.11 m3
जितनी अधिक मात्रा ली	29.63m3-29.11m3=0.52m3
अधिक भुगतान	₹1690 (0.52 m3x ₹3050 per c.M.)

अतः इस किये गए अधिक भुगतान की पुष्टि करते हुए वसूली कर शीघ्र नगर परिषद निधि में जमा की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें

(ट) निर्माण कार्य का नामः– Providing & fixing Electrical wiring in the room for establishment city of RPMC at M.C. Solan

संविदाकार का नामः–M/S Sharma electrical & electronics

वर्क आर्डर नं0:– 36/14 दिनांक 13.4.2015

माप पुस्तिका संख्या पृष्ठ संख्या 297, पृष्ठ 69

उक्त वर्णित निर्माण कार्य का भुगतान M/S Sharma e4lectrical & electronic को वाउचर संख्या 308/60 माह 6/15 द्वारा ₹20000 का किया गया। उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा NIT में मद Wiring for circuit/Sub main with following size PVS insulated heat resistant flame retardant (HRFR) and low smoke single core (flexible) copper conductor cable in surface/recessed steel Conduit along with 1 No. HRFRLS/PVC insulated single core copper conductor cable of same size for earthing as required 2x4.0 sq.m 80 मीटर दर्शाई थी और ठेकेदार को जब इस कार्य का आबंटन किया तो इस मद की मात्रा को बढ़ाकर 100 मी0 कर दिया और इस कार्य का आबंटन ₹20000 में वर्क आर्डर संख्या 36/14 दिनांक 30.4.15 द्वारा कर दिया। जिससे यह प्रतीत होता है कि संविदाकार को अनियमित रूप से ₹2560 (₹20 P/mtr @ 128) का लाभ पहुंचाया गया जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ठ) निर्माण कार्य का नामः– Repair and maintenance of street light in various ward of Solan town (Sh. Providing clamp complete nut and bolt) phase 1 and phase 2

संविदाकार का नामः– श्री विक्रान्त शर्मा

आबंटन पत्र संख्याः– MC/Works/2015 dated Nil & MC @ works@2015-158 dated 9.4.2015

माप पुस्तिका सं0:– 300 पृ0सं0 10 से 12

उक्त निर्माण कार्यों का श्री विक्रान्त शर्मा संविदाकार को वाउचर संख्या 234/44 व 234–1/44 माह 6/15 द्वारा क्रमशः ₹98685 का भुगतान किया गया उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः–

(1) उक्त कार्य के लिए नगर परिषद ने टैंडर आमन्त्रित किये जिसके अन्तर्गत नगर परिषद को तीन संविदाकारों के टैण्डर प्राप्त हुए तथा न्यूनतम दर वाले संविदाकार श्री विक्रान्त शर्मा को उनके द्वारा दिनांक शून्य को किये Negotiation दर के आधार पर ₹98685 का ठेका नगर परिषद पत्र संख्या एमसी/वर्कस/2015/शून्य दिनांक शून्य व

एमसी/वर्कस/2015–158 दिनांक 9.4.2015 द्वारा दे दिया गया। इन कार्यों से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों की जाँच पर पाया गया कि संविदाकार को इन कार्यों के भुगतान आबंटन पत्र में दी शर्तों में दी कटौतियों तथा Conditions of Contract के Clausne 1 के आधार पर कटौतियों न करके केवल बिलों से 1 प्रतिशत की आयकर कटौती ₹988 की करके भुगतान किया गया जबकि आबंटन पत्र की शर्त 16 में स्पष्ट वर्णित है कि संविदाकार को भुगतान करने से पूर्व 1 प्रतिशत Income tax,, 1% Sale tax तथा 1% Labour tax और Conditions of Contract के Clause-1 के अनुसार 10 प्रतिशत Security की कटौती करके भुगतान किया जाए। अतः आबंटन पत्र और Conditions of Contract के Clause-1 के अनुसार संविदाकार के बिल से निम्नविवरणानुसार ₹18680 की कटौती न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र0सं0	बिल की कुल राशि	बिल नं0 1 राशि	बिल नं0 2 राशि
1	बिल की कुल राशि	98685	98685
2	जो कटौती की जानी थी 1 प्रतिशत Sale Tax	(987)	(987)
3	1% Labour Cess	(987)	(987)
4	10% Security after adjustment of earnest money (9866-2500)	(7366)	(7366)
	Total	**9340**	**9340**
	कुल राशि	**9340+9340**	**18680**

32 अनुमानित राशि (Estimated Amount) से अधिक राशि पर निर्माण कार्यों का आबंटन करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 6/15 से 12/16 में नगर परिषद द्वारा संविदाकारों को निर्माण कार्यों का आबंटन अनुमान पत्र में दी गई राशि से अधिक राशि पर किया गया जबकि नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य का आबटन अनुमान पत्र में स्वीकृति राशि से अधिक नहीं किया जा सकता। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वर्कस नियमों में दिये प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जायें, जिन मामलों में सो किया गया है उनका विवरण निम्नलिखित हैः–

वा0सं0/माह	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	Estimated Amt.	Awarded Amt.	Payment	Excess over estimated amount
701/330 (1)/12/16	C/ORepair of Path near the house karam chand ward No. 8	Sh. Virender Thakur	144998	182168	165346	20348
701/330 (2)/12/16	Repair and maintenance of road house Phase-1 (Sh:- Renewal coat from piare lal to Sai Mandir ward No. 14	Sh. Virender Thakur	168304	208480	200461	32157
703/332 (1) 12/16	C/O Path in ward No. 4 behind Mittal Hardware Shop (sub head C/O R/Wall Running bill)	Sh. Subhach Chand	290139	325088	304195	14056
703/332(2) 12/16	Repair and maintenance of road in housing board phase-1 (Sh. Renewal coat from block No. 4 to sood house, ward No. 14 (1st and final bill)	Sh.Subhash Chand	169455	210240	208080	38625
704 (1)/12/16	R/M water Supply of town Sh. Providing and installation submersible pump set 6 HP i/e all accessories	M/S Hydraulic engineering Co.	116060	123010	123010	6950
729/342/12/16	C/O path below P.S. Sheri to Amer Singh house (Sh. C/O R/wall and C.C. 1:6:12, 1:2:4 ward No. 11	Sh. Anil Chauhan	319799.82	385452	385452	65652.18
735/346	Removal of dirt and	Sh. Bishan	116027	156350	155413	39386

(2)/12/16	Mud from 8 lakh Gallon capacity water tank	Dass				
736/347 (1)/12/16	Providing andlaying R.C.C.Pipe Arki colony Ward No. 3	Sh. Nain Singh	149665	160589	160589	10924
736/347(2)/ 12/16	C/O Nallah near house of Chaman lal Goel below NH ward No. 1	Sh. Nain Singh	142953.26	157815	151502	8548.74
737/348(1)/ 12/16	Repair and Maintenance of road leading path behind Ashok Chauhan DFO Ser Kaleen (C/O drain and CC work)	Sh. Rattan Singh	144993.22	171060	160930	15936.78
737/348 (3)/12/16	C/O Nallah from Rajinder Singh towards upper side ward No. 12 Sunny side Solan	Sh. Rattan Singh	315000	352696	352696	37696
742/350/12/ 16	Repair and Maintance fof Path from Surender Negi ro JP Bhatt house ward No. 11	Sh. Sureder Kumar	125000	210751	210751	85751
738/349 (3)/12/16	C/O path to tegata house near power road ward No. 1	Sh. Parminder Dhiman	78133	117786	117763	39630
311/62/6/15	Imp. Of nala near the house of Inder Thakur ward No. 11 (Sh. C/O R/wall)	Sh. Virender Thakur	144729.20	156580	148314	3584.8
315/66/6/15	R/M Path Dada Chela Ram Asharam (Sh. Providing tiles and railing Phase-2 Ward No. 1	Sh. Nain Singh	144785	148587	147068	2283

33 बिना प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, अनुमान व Justification के निर्माण कार्यों का करवाना:–

Name of Work%& C/O and Repair of path near the house of Karam chand ward No. 8

उक्त निर्माण कार्य के लिये निविदा आमन्त्रित किये और इस निर्माण कार्य को Lowest Tender वाले ठेकेदार श्री विरेन्द्र ठाकुर को Negotiation उपरान्त ₹182168 का आबंटन पत्र सख्या MC/Works/2016-5059 dt. 24.9.2016 द्वारा किया गया इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों जाँच करने पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः–

i) किसी भी निर्माण कार्य को करवाने से पूर्व नियमानुसार उस निर्माण कार्य का नक्शा अनुमान पत्र तथा अनुमान पत्र के साथ संलग्न Abstract of cost व अनुमानित मद की measurement संलग्न होनी अनिवार्य होती है जबकि उक्त वर्णित निर्माण कार्य के अभिलेखों के साथ न तो स्वीकृत अनुमान पत्र संलग्न और न ही इस कार्य की Drawing & design व मदवार ब्यौरा संलग्न था। केवल अभिलेखों मे ₹144998.01 का Abstract of cost ही संलग्न था जिस पर केवल कनिष्ठ अभियन्ता के हस्ताक्षर थे। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस निर्माण कार्य को करवाने के लिये नियमानुसार कोई भी अनुमान पत्र नहीं बनाया गया और न ही इसे तकनीकी और प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत करवाया गया जोकि अनियमित था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

इसके अतिरिक्त इस निर्माण कार्य के अभिलेखों में न तो Analysis of rates और न ही justifications संलग्न थी। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस निर्माण कार्य का आबंटन Justification के अन्दर ही आबंटित किया गया और नगर परिषद को इस निर्माण कार्य करवाने में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी। अतः इस निर्माण कार्य का आबटन संविदाकार को बिना Analysis of rates तथा justification तैयार किये कर देने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

ii) निर्माण कार्य में अनुमान ₹144998.01 से अधिक ₹182168 का आबंटन करने के फलस्वरूप ₹20348 का अनियमित भुगतान करनाः–

Name of Work:- Construction & repair of path neaer the house of karam chand ward No. 8

MB No. 320 Page 32 to 33

Bill No. First and final

Contractor Name:- Sh. Virender thakur

Payment Amount:- ₹165346

Unauthoried payment:– ₹20348 (165346–144998)

इस निर्माण कार्यं के लिये निविदा आमन्त्रित किये और इस निर्माण कार्य को Lowest tender वाले ठेकेदार श्री विरेन्द्र ठाकुर को Negotiation उपरान्त ₹182168 का आबंटन पत्र संख्या MC/Works/2016-5059 dt 24.9.2016 द्वारा किया गया। इस निर्माण कार्य में नगर परिषद के वाउचर के साथ लगाये Abstract of cost जोकि अनुमान पत्र के संलग्न होता है उससे ज्यादा का भुगतान किया जबकि नियमानुसार निर्माण कार्य का भुगतान बनाये गए अनुमान (Estimate) के अन्दर ही किया जाना था। अतः अनुमानित राशि से अधिक भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

34 **(क) निर्माण कार्य C/O parking MC Solan at Kotla Nala, ward No. 11 (1.1-1/2, 1:5:10 RCC slab etc)**

निर्माण कार्य का आबंटन पत्र संख्या MC/Work /2015-2583 दिनांक 6.10.15 द्वारा संविदाकार श्री चन्द प्रकाश धर्मा को ₹1224635 में किया गया था। कार्य की सम्बन्धित अभिलेख (माप पुस्तिका 312, टेंडर आदि) के साथ पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियतिताएं पाई गईः–

(i) निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु एक माह का समय दिया गया था। माप पुस्तिका के अनुसार निर्माण कार्य 6.10.15 को आरम्भ किया गया था तथा दिनांक 21.4.16 को समाप्त किया गया था। स्पष्टतया निर्माण कार्य 5.11.15 तक समाप्त किया जाना अपेक्षित था, परन्तु कार्य के निष्पादित हेतु 5 माह तथा 16 दिन का अधिक समय लिया गया। निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने कारण न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु समय अवधि की नियमानुसार बढ़ौतरी से सम्बन्धित अनुमोदन प्रस्तुत किया गया तथा न ही आबंटन पत्र एवं अनुबन्ध की शर्त संख्या 4 तथा 5 के अनुसार दण्ड शुल्क की वसूली की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 शुल्क की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) निर्माण कार्य हेतु निम्नानुसार स्टील जारी किया गया था परन्तु स्टील से सम्बन्धित स्टोर / स्टॉक रजिस्टर में स्टील की जारी किये जाने की प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

Indent no.	**10mm**	**12mm**	**16mm**	**20mm**
38 दिनांक 26.10.15	967	401	608	1077

(iii) निर्माण कार्य हेतु स्टॉक से 760 सीमेंट बैग जारी किये गये थे। खपत विवरणी के अनुसार नियमानुसार 5% wastage की कटौती के उपरान्त 756.88 सीमेंट बैग की खपत बनती थी। निर्माण कार्य में providing and laying cement concrete 1:5:10 मद का निष्पादन किया गया था तथा खपत विवरणी के अनुसार मद में 588.88 बैग (246.19 cubm x 2.392 बैग्स) की खपत दर्शाई गई थी परन्तु मद पर वास्तविक खपत 640.09 बैग (246.19x2.60बैग) की बनती थी जोकि खपत विवरणी में दर्शाई खपत से 51.21 बैग (640.09–588.88) अधिक बनती थी। फलस्वरूप निर्माण कार्य में सभी मदों की कुल सीमेंट बैग की खपत 5% wastage की कटौती के उपरान्त 805 बैग (640.09.207.84–5 प्रतिशत) बनती थी जोकि स्टॉक से कुल जारी 760 सीमेंट बैग से 45 (805–760) बैग अधिक थी। निर्माण कार्य पर जारी सीमेंट बैग से 45 सीमेंट बैग की खपत किस प्रकार तथा कहाँ से की गई इस बारे कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति एवं अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iv) निर्माण कार्य हेतु स्टॉक से विभिन्न size का कुल ₹3053 कि0ग्रा0 स्टील जारी किया गया था। खपत विवरणी के अनुसार निर्माण कार्य पर कुल ₹2684.06 कि0ग्रा0 स्टील की खपत दर्शाई गई थी। निर्माण कार्य पर खपत के उपरान्त 368.94 कि0ग्रा0 स्टील शेष बचता था। निर्माण कर्य की समाप्ति के उपरान्त शेष बचे स्टील को स्टॉक रजिस्टर में वापिस लिया जाना अपेक्षित था, परन्तु शेष बचे स्टील की न तो स्टॉक रजिस्टर में वापसी दर्शाई गई तथा नही किसी अन्य निर्माण कार्य में इसकी खपत दर्शाई गई। इस बारे चर्चा के उपरान्त कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹36894 (368.94 कि0ग्रा0 x 100 प्रति कि0ग्रा0 दुगना वसूली रेट) की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(v) निर्माण कार्य का आबंटन HPSR-2009 से 41.26 प्रतिशत से उपर किया गया था परन्तु निर्माण कार्य का प्राक्कलन अलग से न बनाए जाने के कारण कार्य का आबंटन 41.26 प्रतिशत उपर किये जाने सम्बन्धित गणना स्पष्ट नहीं होती थी। अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इस कारण निर्माण कार्य को HPSR-2009 से 41.26 प्रतिशत उपर आबंटित किये जाने सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कवाया जाये।

(vi) अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित Justification भी प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण संविदाकार को विभिन्न मदों के निष्पादन हेतु जिन दरों पर निर्माण कार्य का आबंटन किया गया था वह दरें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निकाले गए Justified रेट के बराबर या कम थे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(vii) निर्माण कार्य पर खपत हुए सीमेंट तथा स्टील क्रमशः ₹266 प्रति बैग तथा ₹50 प्रति किलो की दर से की गई थी परन्तु आबंटन पत्र तथा अनुबन्ध पर वसूली रेट कहीं पर भी नहीं लिखे गए थे जिस कारण की गई वसूली सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्धारित वसूली रेट के अनुसार की गई थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जायें

(viii) इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के व्यय से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरी द्वारा जारी प्रशासनिक व्यय तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ भी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निमयानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ix) निर्माण कार्य हेतु विभिन्न संविदाकारों द्वारा प्रेषित टेंडर्स को नियमानुसार Diary भी नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

उपरोक्त अनियमितताओं पर चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता जिनके कार्यकाल में निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया था वह सेवानिवृत हो चुके है जोकि तर्क संगत नहीं है। अतः नगर परिषद उपरोक्त के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत ककरवाया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) निर्माण कार्य C/O poarking MC. Solan at Kotla nala, ward No. 11 (RCC slab, tor steel 1:1-1/2 in ground floor)

उक्त निर्माण कार्य का आबंटन पत्र संख्या MC/Works/2015-4362 दिनांक 23.2.15 द्वारा संविदाकार श्री रमेश चन्द शर्मा को ₹1426348 में किया गया था। कार्य की सम्बन्धित अभिलेख (माप पुस्तिका 300, 302 टेंडर आदि) के साथ पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु तीन माह का समय दिया गया था। माप पुस्तिका के अनुसार निर्माण कार्य 23.2.15 को आरम्भ किया गया था तथा दिनांक 16.12.15 को समाप्त किया गया था। स्पष्टतया निर्माण कार्य 23.5.15 तक समाप्त किया जाना अपेक्षित था, परन्तु कार्य के निष्पादन हेतु 6 माह तथा 24 दिन का अधिक समय लिया गया। निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न करने कारण न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु समय अवधि की नियमानुसार बढ़ौतरी से सम्बन्धित अनुमोदन प्रस्तुत किया गया तथा न ही आबंटन की शर्त संख्या 4 तथा 5 के अनुसार दण्ड शुल्क की वसूली की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दण्ड शुल्क की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) निर्माण कार्य हेतु indent No. 10 तथा 19 द्वारा निम्नानुसार स्टील जारी किया गया था, परन्तु स्टील से सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में स्टील की जारी किये जाने की प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए।

Indent No.	8mm	10mm	12mm	16mm	20mm	25mm
10	64.22	----	206.20	759.10	239.09	522.06
19	464.49	1450.80	845.23	1086.53	------	--------

(iii) निर्माण कार्य का आबंटन HPSR-2009 से 46 प्रतिशत से उपर किया गया था परन्तु निर्माण कार्य का प्राकलन अलग से न बनाए जाने के कारण निर्माण कार्य का आबंटन 46 प्रतिशत उपर किये जाने सम्बन्धित गणना स्पष्ट नहीं होती थी। अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इस कारण निर्माण कार्य को HPSR-2009 से 46 प्रतिशत से उपर आबंटित किये जाने सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता

बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(iv) अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से सम्बन्धित Justification भी प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण संविदाकार को विभिन्न मदों के निष्पादन हेतु जिस दर पर निर्माण कार्य का आबंटन किया गया था व रेट सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निकाले गए Justified रेट के बराबर या कम थे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(v) निर्माण कार्य पर खपत हुए सीमेंट तथा स्टील की वसूली क्रमशः ₹266 प्रति बैग तथा ₹50 प्रति किलो की दर से की गई थी परन्तु आबंटन पत्र तथा अनुबन्ध पर वसूली रेट कहीं भी लिखे गए नहीं पाए गए जिस कारण की गई वसूली सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वसूली रेट के अनुसार की गई थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तदानुसार नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(vi) जाँच में यह भी पाया गया कि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर से निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेंट बैग सम्बन्धी प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। Indents पर भी पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था। कुछ Indents पर तिथियाँ अंकित नहीं थी तथा कुछ पर संविदाकार के निर्माण सामग्री की प्राप्त किये जाने की एवज में किये गये हस्ताक्षर भी नहीं थे। (उदाहरणस्वरूप indent No. 19 (सीमेंट बैग्स) तथा indent No. 10 (स्टील तथा सीमेंट बैगस) अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये। भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

(vii) इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के व्यय से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ भी प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

(viii) निर्माण कार्य हेतु विभिन्न संविदाकारों द्वारा टैंडर्स को नियमानुसार diary भी नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सभी प्राप्त डाक को diary किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं पर चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता जिनके कार्यकाल में निर्माण कार्य का निष्पादन किया गया था वह सेवानिवृत हो चुके है जोकि तर्क संगत नहीं है। अतः नगर परिषद के उपरोक्त के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया दिया जाएगा।

35 ₹1.83 लाख की अतिरिक्त मदों का अनियमित भुगतानः–

नगर परिषद सोलन के माह 6/2015 के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों के अन्तर्गत संविदाकारों को जो भुगतान किया गया उसमें संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया था तथा उसकी स्वीकृति किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी। अतः बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निर्माण स्थल पर किये गये अतिरिक्त मदों के निष्पादन व संविदाकार को किये भुगतान में इन मदों का भुगतान अनियमित था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	व0सं0/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	अतिरिक्त मद का ब्यौरा	मद की गणना	दर	राशि
1	232/42 of 6/15	C/O nallah from lakkar bazaar to Rajgarh road weard No. 7 solan	Boulder filling on the road near hari mandir	11.6m3	1100	12760
2	237/46 of 6/15	R/M of road from retd SDM Kanshi residence to char Khamba (S/H P/L renewal cont. CC road	P/I CC work (1:6:12) 1 cment 6 sand 12 graded stone aggregate of 40 mm nominal size	45 m3	3000	135000
3	236-B/45 of	Repair and	Diposal of	40.26	250	10065

	6/15	renewal of path in word No. 3 (Sh:- providing Cc, brick work in different places in ward No. 3	excavated earth up to 4 Km head (34.11 + 6.15)	m3		
4	312/63 of 6/15	C/O Road near D.F.O. Sh. Prem Singh house ward No. 10	Diposal of excavated earth up to head of 4 km steel work welded built up section of treses in fram	11.82m3 33.97Kg	280 82	3310 2786
5	325/72 of 6/15	C/O Nallah from back side of Puram chand house Ward No. 8	Steel work welded build up section framers i/c cutting and volting providing & fixing hume pipe	57.88 Kg 2.4 Rmt 5.4Rmt	92 per Kg 122.71 93	5324.96 292 502
6	738/349 of 12/16	C/O path to Tagta house near power house road ward No. 1	Providing form work with steel plates 3.15 mm thick in vertical serface. P/L C:C 1:3:6 and curing complete excluding the cost of form work	4.25 m3 3.02m3	230 3954	978 11914
					Total	**182931.96**

इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 1.3.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन से इस मामले में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

36 स्टोर एवं स्टॉक रजिस्टर में अनियमितताएंः—

(i) सीमेंट के स्टॉक रजिस्टर में एक ही indent की दो बार प्रविष्टि करने पर 1521 सीमेंट बोरियों का अधिक निकासी करने के फलस्वरूप ₹4.30 लाख के सीमेंट का संदिग्ध दुर्विनियोजनः—

नगर परिषद सोलन के वर्ष 2015—16 व 2016—17 के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः—

नगर परिषद के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित वर्णित indents से दो बार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर सीमेंट जारी किया गया दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप 1521 सीमेंट की बोरियों की अधिक निकासी की गई प्रतीत होती है। विवरण निम्न प्रकार से हैः—

स्टॉक रजिस्टर सं0	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	Indent सं0	संविदाकार का नाम	जितना सीमेंट जारी किया (Bags)	टिप्पणी
G-29/5	23	VKP-02	Sh. Prashant Thakur	50	
G-29/5	28	VKP-02	Sh.Prashant Thakur	50	दूसरी बार जारी
G-29/5	25	BST-47	Sh. Virender Thakur	80	
G-29/5	29	BST-47	Sh. Virender Thakur	80	दूसरी बार जारी
G-29/5	25	BST-48	Sh. Ramesh Sharma	80	
G-29/5	29	BST-48	Sh. Ramesh Sharma	80	दूसरी बार जारी
G-29/5	25	BST-49	Sh. Tilak Raj	35	
G-29/5	29	BST-49	Sh. Tilak Raj	35	दूसरी बार जारी
G-29/5	28	BST-50	Sh. Prashant Thakur	75	
G-29/5	29	BST-50	Sh. Prashant Thakur	75	दूसरी बार जारी

G-29/5	28	BST-51	Sh. Shubhash Rana	350	
G-29/5	29	BST-51	Sh. Shubhash Rana	350	दूसरी बार जारी
G-29/5	28	BST-52	Sh. Ram Pal	128	
G-29/5	29	BST-52	Sh. Ram Pal	128	दूसरी बार जारी
G-29/5	25	BST-44	Sh. Rajesh Kumar	68	
G-29/5	29	BST-44	Sh. Rajesh Kumar	68	दूसरी बार जारी
G-29/5	28	BST-53	Sh.Bishan Das	325	
G-29/5	29	BST-53	Sh.Bishan Das	325	दूसरी बार जारी
G-29/5	28	BST-54	Sh. Vivek Dhobal	230	
G-29/5	29	BST-54	Sh. Vivek Dhobal	230	दूसरी बार जारी
G-29/5	25	BST-43	Sh.Vivek Oberoi	100	
G-29/5	29	BST-43	Sh.Vivek Dhobal	100	दूसरी बार जारी

अतः संविदाकार के एक indent के विरूद्ध स्टॉक रजिस्टर में दो बार सीमेंट जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाएं

2 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 18 में श्री रमेश चन्द शर्मा को indent No. BST-01 से 200 सीमेंट बैग जारी किये परन्तु इस indent को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी कार्यालय प्रति आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाये।

3 सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 21 व 22 में Ambuja cement limited के Invoice No. 8107068739 दिनांक 26.1.2016 के द्वारा 400 बैग सीमेंट के स्थान पर 200 सीमेंट बैग की प्रविष्टि करके 200 बैग सीमेंट के दुर्विनियोजन किए जाने की सम्भावनाः–

सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 21 व 22 में Civil supplies corporation के माध्यम से Ambuja cement limited से प्राप्त सीमेंट की जो प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में की उन प्रविष्टियों की जाँच सम्बन्धित बिलों/Invoices से करने पर पाया गया कि सम्बन्धित नस्ति में संलग्न Ambuja cement limited के Invoice No. 8107068739 दिनांक 26.1.2016 के द्वारा 400 बैग सीमेंट नगर परिषद को भेजा गया था तथा GR No. 504C018819 दिनांक 25.1.16 और Truck No. HP 14, 0498 द्वारा 400 बैग ही सीमेंट प्राप्त हुए परन्तु स्टॉक रजिस्टर में

इस Invoice के विरूद्ध 200 cement bags की प्राप्त की प्रविष्टि की गई थी। अतः इस प्रकार सीमेंट स्टॉक रजिस्टर में 200 बैग सीमेंट कम लिये जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा 200 बैग सीमेंट की कीमत सम्बन्धित से की जाए। सीमेंट का पूर्ण ब्यौरा निम्न प्रकार सें हैः–

स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	बकाया सीमेंट	जितने बैग सीमेंट प्राप्त किया	Invoice No./truck No./date
21	10	200	8107063509/HP14B2599/29.12.15
21	210	200	8107063389/HP-646157/29.12.15
21	410	200	8107064365/HP-146197/2.01.16
21	610	200	8107068500/HP-14B1997/2.01.16
21	810	200	8107068725/HP-62A1623/26.1.16
21	1010	200	8107068739/HP-14B0498/25.1.16
21	1210	400	8107068662/HP-11A1233/25-01-16
21	1610	200	8107078567/HP-644933/11-03-16
21	1810	200	8107079621/HP-11C3250/15-03-16
22	2010	200	8107079619/HP-51B3939/16.03.16
22	2210	200	8107080265/HP-11B5627/18.03.16
22	2410	200	
22	2610		

4 सीमेंट स्टॉक रजिस्टर में Ambuja cement limited के Invoice No. 8107063551 दिनांक 30.12.2015 के द्वारा प्राप्त 200 बैग सीमेंट की प्रविष्टि न किए जाने के फलस्वरूप 200 बैग सीमेंट के दुर्विनियोजन misappropration की सम्भावनाः–

Civil cupplies corporation के माध्यम से Ambuja cement limited के Invoice No. 8107063551 दिनांक 30.12.2015 द्वारा 200 बैग सीमेंट की आपूर्ति नगर परिषद को की गई थी। GR No. 504G030685 दिनांक 29.12.2015 के अनुसार Truck No. HP-64AS-4563 द्वारा नगर परिषद को 200बैग सीमेंट प्राप्त हुए थे परन्तु स्टॉक रजिस्टर में इस Invoice के against 200 cement Bags जो प्राप्त हुए उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में उस अवधि में नहीं पाई गई। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट के 200 बैग की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में उस अवधि में नहीं पाई जाने के फलस्वरूप उक्त सीमेंट बैग के दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं

किया जा सकता। इस बारे अधियाचना संख्या 14 दिनांक 22.02.2018 द्वारा उक्त वर्णित अनियमितताओं बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नगर परिषद अपने स्तर पर स्टॉक रजिस्टर में जो गम्भीर अनियमितताऐं इस Audit para में दर्शाई गई में पूर्ण छानबीन करके cement के स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन कर तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

37 Name of work:- Spl. Repair of water of Solan Town (S/H:-Replacement of old pipe, new connection (1 volume etc.)

Name of contractor:- Sh. Shahjahan

Award letter No.:-MC (works/2016/5855 dtd 29.10.16

Awarded Amount:- ₹540963

MB No. and Page:- 320 Page No. 54 to 61

Bill No.:- First and final

Vouchar No.: 696 of 12/2016

Amount of payment:- ₹540960

उक्त निर्माण कार्य के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

1 नगर परिषद सोलन द्वारा उक्त कार्य का अनुमान पत्र जो बनाया था वह वाउचर के साथ संलग्न नहीं था केवल कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बनाया cost of abstract ₹299548.35 साथ संलग्न था। नगर परिषद द्वारा उक्त निर्माण कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति अनुमान पत्र drawing आदि अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

2 इस निर्माण कार्य का आबंटन labour rate पर या फिर Through rate पर किया गया स्पष्ट नहीं किया गया। क्योंकि इस निर्माण कार्य में कुछ मदें labour rate पर तथा कुछ मदें Through rate दर्शाये गये है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये।

3 इस निर्माण कार्य में कुछ मदों के लिये सामग्री नगर परिषद द्वारा जारी की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

i) 20mm quantity galvanished wild steel tube=120 Rmtr

ii) 32mm quantity ---do------=186 Rmtr

iii) 40mm quantity –do-=291 Rmtr

iv) 50mm quamtity –do-=548 Rmtr

vI 80mm quantity-do 180 Rmtr

यह उक्त सामग्री किस indent द्वारा ठेकेदार को जारी की गई माप पुस्तिका में अंकित नहीं था न ही इस सामग्री की वसूली इस बिल के भुगतान से की गई थी। अतः यह जो सामग्री संविदाकार को निर्माण कार्य को जारी की गई उसकी वसूली (Recovery) न करने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

4 इस निर्माण कार्य के लिये जो सामग्री संविदाकार को जारी की गई थी उससे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

5 नगर परिषद ने इस निर्माण कार्य में पुराने सामान को जारी किया गया दर्शाया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1 G1 union 15mm=190N.

2 G1 socket 15mm=300 N. जबकि माप पुस्तिका में 400 नं0 दिया गया है।

इस सामग्री को किस indent से जारी किया गया नहीं दर्शाया गया और इस सामग्री की वसूली किस बिल से की गई उस बारे भी अंकेक्षण को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

6 इसके अतिरिक्त जो पुरानी सामग्री कार्यस्थल से प्राप्त हुई उससे सम्बन्धित MAS रजिस्टर भी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

7 इस निर्माण कार्य में जो अन्य सामग्री उपयोग की गई वे संविदाकार द्वारा अपने आप लगाई या नगर परिषद द्वारा जारी की स्पष्ट नहीं था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 1.3.2018 द्वारा उक्त वर्णित अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे लिखा था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नगर परिषद अपने स्त्तर पर में जो गम्भीर अनियमितताऐं इस Audit para में दर्शाई गई है की पूर्ण छानबीन करके अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 अनुमान पत्र में संलग्न मदों की detail measurement को abstract of cost में गलत दर्शाने पर ₹110197.14 का अनुमान पत्र को ज्यादा बनाकर संविदाकार को अधिक/अनुचित लाभ पहुंचानाः–

Name of work:- Repair and maintenance of road from HFCL to Bawara Road in ward No. 3 (SH:P/I cc 1:2:4)

Name of Contractor:- Sh. Prashant Thakur

Measurement Book No./Page:- 299 Page 36 to 37 and 301 Page No. 6 to 8

Bill No. First and final

Award letter No. MC/Works/2016-179 dated 10.4.2015

उक्त निर्माण कार्य का भुगतान संविदाकार श्री प्रशांत ठाकुर को ₹732748 वाउचर संख्या 239/48 माह 6/2015 द्वारा किया इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि नगर परिषद की तकनीकी शाखा द्वारा इस निर्माण कार्य का जो अनुमान पत्र बनाया गया उसमें संलग्न मदों की detail of measurement तथा अनुमान पत्र में संलग्न Cost of abstract में ली मदों की गणना में अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Detail measurement

Quanity of items in estimate by serial number

Sr.No.	Description	Quantity
1	Demolition of pavement road up to 1.50 meters depth and disposal of unserviceable material with in 20 meters loadun-reinforced cement concrete up to 15 cm thickness	22.50 cumtr
2	Providing and laying cement concrete 1:6:12 (1 cement 6 sand 12 graded stone aggregate 40 mm nominal size) and curing complete excluding cost of from work in foundation and plinths	30.00cumtr
3	Providing and laying spreading and compacting stone aggregate of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness , hard packing ,rolling with smooth wheel roller 80-100 km in stages to proper grade and camper , applying and brooming stone and curing /binding materials to fill up the intertico of coarse aggregate , watering and compacting to the required density grading 2 as per technical specification clause 405 (A) by manuals means.	96.25 cumtr

4	Providing and laying cement concrete 1:2:4(1 cement:2 sand:4 graded stone aggregate 20mm nominal size)and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinths.	45 cumtr
5	2nd class brick work using common burnt clay building bricks in cement mortar 1:6(1 cement :6 sand) all floors and all height.	11.50 cumtr

जितनी मात्रा अनुमान पत्र में abstract cost में ली साथ संलग्न है। जबकि abstract cost में sr.no. 3 व 4 के मदों में मात्रा निम्न प्रकार लेनी थी।

Sr.n.	**description**	**Qty.**
1	P/l spreading and compacting stone aggregate of specific sizes to mortor bond macdom	96.25 cumtr
2	P/l cement concrete work 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth	45 cumtr

जिसके अनुसार इस निर्माण कार्य की अनुमान पत्र ₹340093.86 का बनता था जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

Sr.n.	**Description of items**	**Qty.**	**Rate**	**Amount**
1	Demolition of pavement road up to 1.50 meters	22.50 cumtr	415.95	9358.88
2	P/l cc 1:6:12 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth	30 cumtr	1942.50	58275
3	Providing and laying ,spreading and compacting stone aggregate of specific sizes of mortar bond macdom specification including spreading in uniform thickness , hard packing , rolling with smooth wheel roller 80-100 km in stages to proper grade and camber	96.25 cumtr	1015.70	97761.13
4	P/l c 1:2:4 and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth.	45.0 cumtr	3165.90	142465.50

5	2^{nd} class brick work using burnt clay building bricks in cement mortor 1:6 all foors and all heights	11.50 cumtr	2802.90	32233.35
			Total	**340093.86**

अतः इस प्रकार अनुमान पत्र में मद संख्या 3 व 4 में मात्रा की गणना को गलत लेने पर ₹110197.14 का अधिक अनुमान पत्र बनाया गया तथा जिसके आधार पर इस कार्य के लिये निविदायें आमंत्रित की और अनुमान पत्र justification बनाकर इस कार्य को संविदाकार को ₹738875 में आवंटित किया गया। यदि इस निर्माण कार्य को सही अनुमान पत्र ₹340010 का बनाकर निविदांए आमंत्रित की होती तो यह निर्माण कार्य ₹517625 में संविदाकार को आबंटित किया होता। अतः इस प्रकार इस निर्माण कार्य को करवाने के लिये अधिक राशि का अनुमान पत्र बनाने पर ₹215250 का अनुचित/अधिक कर संविदाकार को लाभ तथा नगर परिषद को वितीय हानि पहुचांई गई प्रतीत होती है। जिस बारे नगर परिषद स्थिति स्पष्ट करने के बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27 दिनांक 1.3.2018 द्वारा लिखा था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद इस प्रकरण में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें जाए। आंवटन पत्र के साथ Schedule of quantity में मदों की ठीक quantity लेने पर निम्न राशि का निर्माण कार्य संविदाकार को आबंटित किया जाना था।

Sr. n.	Description of items	**unit**	**Quantity**	**Rate**	**Amount**
1	Demolition of pavement road up to 1.5 meters depth and disposal of unserviceable materials with in 20 meters lead. Un-reinforced cement concrete up to 15 cm thickness.	cumtr	22.50	400	9000
2	Providing and laying cement concrete 1:6:12(1 cement:6 sand:12 graded stone aggregate 40mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth.	cumtr	30.00	3000	90000
3	Providing, laying ,spreading and compacting stone aggregate of specific sizes to water bond macadam specification including spreading in uniform	cumtr	96.25	1300	125125

	thickness , hard packing , rolling with smooth wheel roller 80-100 km in stages to proper grade and camber applying and brooming stone screening / binding materials to fill up the interstices of coarse aggregate , watering and compacting to the required density grading 2 as per technical specification clause 405 (A) by manual means .				
4	Providing and laying cement concrete work 1:2:4(1 cement:2 sand :4 graded stone aggregate of 20mm nominal size) and curing complete excluding cost of form work in foundation and plinth.	cumtr	45.00	5500	247500
5	2nd class brick work using common burnt clay building bricks in cement mortor 1:6(1 cement :6 sand) all floors and all height.	cumtr	11.50	4000	46000
				Total	**517625**

39 निर्माण कार्य का निष्पादन बिना अनुमान पत्र तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये करवाना:-

निर्माण कार्य का नाम :- Repair of drain in upper Bazar R-side of Old bus stand to Goyal Medicos Ward no.-8(SH:-PVC pipe & gattings.

संविदाकर का नाम :- Sh. Vikrant Sharma

आंवटन पत्र संख्या व दिनाक :- M.C./ WORKS/2016-5799 Dated:-24/10/16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या :- 320 page no. 51 to 54

बिल संख्या :- 1st and final bill

इस निर्माण कार्य का भुगतान नगर परिषद् द्वारा बाउचर संख्या 700 माह 12/16 ₹187056 श्री विक्रांत शर्मा संविदाकार को किया गया | इस निर्माण कार्य से सम्बंधित अभिलेखों कि जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद् ने इस निर्माण कार्य को करने के लिये ₹202500.48 का अनुमान पत्र तैयार किया परंतु न तो इस निर्माण कार्य के अनुमान पत्र को सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत करवाया गया था और न ही इस कार्य को करवाने के

लिये बिना अनुमान पत्र को सक्षम अधिकारी से तकनीकी एवं प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत करवाये सीधे टेंडर आमंत्रित कर दिये गए तथा न्यूनतम दर वाले ठेकेदार को उक्त बर्णित निर्माण कार्य आवंटन पत्र संख्या M.C./ WORKS/2016-5799 Dated:-24/10/16 द्वारा ₹187740 का कर दिया जो कि works rules मे दिये नियमों कि सरासर अवेहलना की गई प्रतीत होती है जो कि अनियमित था | अतः बिना औपचरिक्ताएं को पूर्ण किये इस निर्माण कार्य का ठेका संविदाकार को देने बारे स्थिति सपष्ट की जाये|

2 NON- SCHADULE मद का रेट निर्धारण करने के सम्बन्ध मेंः–

इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य के अनुमान पत्र मे मद "Providing and fixing 5mm thick sheet with frame and diagonal braces or 40x40x6mm angle iron 3.15 mm MS gusset plates at junctions and corners 25 mm dia pully, 40mmx40mmx6mm angle and T iron guid at the top and bottom respectively, including applying a priming coat of red lead paint" को करने से सम्बन्धित मद को लिया गया था जबकि इस मद को किस आधार पर लिया गया स्पष्ट नही किया गया था और न ही इस मद की दर ₹8184 per sq mtr.किस आधार पर बना कर अनुमान पत्र मे ली गई थी, से सम्बंधित कोई अभिलेख साथ मे संलग्न नहीं था | अतः इस मद की दर को किस आधार पर बनाकर अनुमान पत्र मे लिया गया स्पष्ट करे और कार्य के आवंटन पर संविदाकार को इस मद को कार्य स्थल मे करने के लिये ₹9800/- per sq mtr. की जो दर दी गई वे किस आधार पर दी गई उससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख साथ संलगन नहीं था, जिस बारे नगर परिषद स्थिति स्पष्ट करने के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 1.3.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद इस प्रकरण में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

40 निर्माण कार्य में केवल में दो अधिक दर वाली मदों के निष्पादन कर संविदाकार को ₹6.45 लाख का अनियमित भुगतानः–

Name of Construction work:- Rep/maintenance of road under various places in ward No. 6, 7 8 & 9 Solan

Name of Contractor:- Sh. Ramesh Chand Sharma

Award letter No.:- M.C./Works/2015-888 dated 26.5.15

M.B. No. & Page No.:- 298 & Page No. 52 to 54

Bill No. :- First & Final bill

उक्त वर्णित कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान श्री रमेश चन्द शर्मा ठेकेदार को ₹647732 वाउचर संख्या 315–66 द्वारा किया गया इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(1) उक्त निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए नगर परिषद ने ₹350000 का अनुमान पत्र तैयार किया और अनुमोदित करवाया और इसका निर्माण कार्य करने के लिये निविदायें आमन्त्रित की गई तथा Negotiations के उपरान्त न्यूनतम दर वाली संविदाकार श्री रमेश चन्द शर्मा को आबंटन पत्र संख्या MC/Works/2015-888 दिनांक 26.5.2015 द्वारा आबंटित किया गया। आबंटन पत्र में संविदाकार को ₹644775 का निर्माण कार्य आबंटित किया तथा मद संख्या 7 को निष्पादित करने बारे कहा गया। माप पुस्तिका संख्या 298 पृ0 52 से 54 की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि इस निर्माण में केवल ठेकेदार द्वारा दो ही मदों का निष्पादन किया गया तथा शेष 5 मदों का निष्पादन नहीं किया गया। ठेकेदार ने निर्माण स्थल में वे ही मदें निष्पादित की जिसकी दर अवार्ड पत्र में सबसे अधिक थी। अनुमान पत्र में दी इन मदों की जो दी गई थी उस मात्रा से लगभग मद ÞP/L cement concrete 1:6:12 में 350% तथा मद ÞP/l cement concrete 1:1.5:3 में 797 प्रतिशत अधिक निष्पादित करने के उपरान्त नगर परिषद ने उतनी मदों के आधार पर प्रथम एवं अन्तिम बिल बनाकर आबंटन पत्र में दी ₹644785 पर सीमित कर भुगतान कर दिया तथा इस निर्माण कार्य में जो अन्य मदें निष्पादित की जानी थी वे न करने बारे बिल के साथ संलग्न Detailed कम्लीशन रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट में कोई कारण नहीं लिखे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद ने बिना निर्माण कार्य को पूरा किये ही प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान कर दिया, जोकि अनियमित था तथा works rules में दिये गये नियमों की सरासर अवहेलना थी जो अन्य मदें

इस निर्माण कार्य में निष्पादित की वे न करवाने के कारण इस निर्माण कार्य की completion रिपोर्ट बनाकर भुगतान कर देने के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 1.3.2018 द्वारा स्पष्टीकरण देने बारे अनुरोध किया गया था परन्तु इस अंकेक्षण समाप्ति तक नगर परिषद से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से अंकुश लगाया जाना सुनिश्चित किया जायें।

41 सक्षम अधिकारी से अनुमान पत्र को स्वीकृत करवाये बिना निर्माण कार्य का निष्पादन करने पर ₹1.87 लाख का अनियमित व्ययः–

निर्माण कार्य का नामः– C/O Keyman Quarter at club Tank Solan (Sh. Finishing work)

संविदाकार का नामः– Sh. Vikrant Sharma Contractor

आबंटन पत्र संख्या MC/Works/2015-16 dated 9.4.15

माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ठः– 298 पृष्ठ 44 से 46

बिल संख्याः– प्रथम एवं अन्तिम बिल

उक्त वर्णित निर्माण कार्य के बिल का भुगतान श्री विक्रान्त शर्मा संविदाकार को वाउचर संख्या 260/58 माह 6/15 ₹186636 द्वारा किया गया इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि नगर परिषद द्वारा इस कार्य का निष्पादन बिना अनुमान पत्र को बनाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति करवाये बिना किया गया जोकि अनियमित था जबकि Chapter 11 ÞPublication's Rules 11.6 (1) "Work to be executed except on a sanctioned estimate or an accepted report on requestion के अनुसार किसी भी निर्माण/मुरम्मत के कार्य को करने से पूर्व उस निर्माण कार्य का विस्तृत अनुमान पत्र बनाकर तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाकर ही कार्यन्वित किया जाना अपेक्षित था। अतः बिना सक्षम अधिकारी से अनुमान पत्र को स्वीकृत करवाये निर्माण कार्य को टैंडर के आधार पर संविदाकार से करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

42 कूड़ादान (Garbage Container) की खरीद में पाई गई अनियमितताएं

माह 12/2016 के भुगतान बाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद् ने बाउचर संख्या 733 माह 12/16 द्वारा M/S kakar Alliances ,Ludhiana(PB) को 15 no.

Garbadge Containers की आपूर्ति के लिए ₹709803 का भुगतान किया गया | इस भुगतान से संम्बधित अभिलेखों की जाँच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः–

1. नगर परिषद ने Garbadge Containers की आपूर्ति के लिए अभिलेख में कोई भी संम्बधित अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा Garbadge Containers से संम्बधित कोई भी मांग पत्र साथ संलग्न नहीं था जिस से यह अनुमान लगाया जा सकता कि गार्बेज कंटेनर्स की कितनी आवश्यकता थी और Garbadge Containers सोलन शहर के किस वार्ड मे और कौन से स्थान पर रखे जाने थे | अतः बिना requirement के Garbadge Containers की खरीद करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये |

2. नगर परिषद् ने कूड़ादान की खरीद के लिये टेंडर अमिन्त्रित किये थे| Garbadge Containers की आपूर्ति के लिये एक फर्म तथा दो संविदाकारों ने टेंडर के द्वारा अपनी दरों को भरा | इन टेंडर की जाँच करने पर पाया गया की इन संविदाकारों मे केवल एक ही फर्म ऐसी थी जो Garbadge Containers की आपूर्ति करती थी| बाकि नियमों मे दिए गए प्रावधानों औपचारिकताओं (FORMALTIES) को पूरा करने के लिये स्थानीय संविदाकारों से टेंडर भरवाकर m/s KAKAR ALLIANCES, LUDHIANA (PB) को पत्र संख्या M.C./WORKS/2013-6055 दिनाक 19/11/16 को 15 Nos Garbadge Containers की आपूर्ति के आदेश जारी कर दिये| क्योकि टेंडर फॉर्म के साथ कोई भी ऐसी प्रमाण नहीं था जिस से यह सुनिशिचित हो सके कि garbadge containers की आपूर्ति m/s KAKAR ALLIANCES, LUDHIANA(PB) की तरह अन्य संविदाकारों जिन द्वारा Garbadge Containers की आपूर्ति के लिये टेंडर भरे थे | जिस से यह प्रतीत होता है कि केवल m/s KAKAR ALLIANCES, LUDHIANA(PB) को 15 Nos Garbadge Containers की आपूर्ति के लिये ही नियमों मे दिये प्रावधानों / औपचारिकताओं (FORMALTIES) को पूरा किया गया| जबकि नगर परिषद् को Garbadge Containers की आपूर्ति के लिए बाज़ार की पूरी प्रतिस्पर्धा के लिये नेशनल न्यूज़ पेपर मे Garbadge Containers की आपूर्ति के लिये विज्ञापन देना चाहिये था | अतः केवल नियमों मे दिये प्रावधानों को पूरा कर m/s KAKAR ALLIANCES, LUDHIANA

(PB) को 15 Nos Garbadge Containers की आपूर्ति के आदेश जारी कर देने बारे स्थिति स्पष्ट कि जायें |

3. सफाई स्टॉक रजिस्टर की जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न प्रकार के डस्टबीनस के शेष carry forward नहीं किये गए थे | जिस कारण स्टोक रजिस्टर डस्टबिनस के शेषों तथा उनके सही उपयोग बारे सही स्थिति नहीं दर्शाता है | इस अनियमितता का विवरण निम्नानुसार है :-

(i) दिनांक 5/2/13 को स्टोक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या123 पर साधारण डस्टबिनस का शेष 40 दर्शाया गया था | इस शेष को carry forward नहीं किया गया था |

(ii) दिनांक 5/2/13 (पृष्ठ संख्या121) तथा दिनांक 29/5/13 (पृष्ठ संख्या122)को स्टोक रजिस्टर में गार्बेज डस्टबिनस का शेष क्रमश: 20 तथा 40 दर्शाया गया था | इन शेषों को carry forward नहीं किया गया था |

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 22 दिनांक 27/02/18 द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के डस्टबीनस के क्रय की गई संख्याओं, उनके नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जाने, उनके शेषों बारे तथा अनुपयोगी डस्टबीनस के शेषों बारे जानकारी मांगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना में वर्णित अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई |

अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके तथा उक्त अधियाचना के अनुसार स्टोक रजिस्टर अभिलेख को पूर्ण करके तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

43 आय से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव सही रूप से न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही रू‧ से नहीं किया जा रहा था। मोबाईल टावर शुल्क पंजिका, पार्किंग शुल्क पंजिका दुकानों/स्टालों के किराये सम्बन्धी पंजिका, प्रदर्शन शुल्क पंजिका, लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क पंजिका आदि में कई प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित प्रभारियों/सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो समय–2 पर

इन अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा था न ही इनके रख रखाव तथा आय की प्राप्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। इस कारण एक ओर जहां इन पंजिकाओं में की गई प्रविष्टियाँ विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है वहीं दूसरी ओर आय की प्राप्ति में भी विलम्ब होता है जिसके फलस्वरूप नगर परिषद कोष को हानि उठानी पड़ रही है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त अभिलेख के रख रखाव तथा समय–2 पर इनके अवलोकन उपरान्त आय की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।

44 नियमानुसार पैन्शन तथा ग्रेच्युटी के अभिदानों की कटौती न करनाः–

H.P. Municipality Employees (Pension, gratuity & GPF) Rules, 2000 के नियम 3 (3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्त्तर का 12 प्रतिशत पैन्शन तथा 5 प्रतिशत ग्रेच्युटी का अभिदान पैन्शन एवं उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु यह पाया गया कि अभिदान की गणना वेतनमान के अधिकतम की अपेक्षा इसमें ग्रेड वेतन जोड़कर की गई थी जोकि उक्त नियमों में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

45 अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से तथा लिखित रूप से (अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 6.2.18 तथा अधियाचना संख्या 20 दिनांक 26.2.18) कई बार आग्रह किये जाने के बाद भी निम्नलिखित जानकारी सम्बन्धित अभिलेख सहित प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 निम्नलिखित जानकारी सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	विवरण
1	विभिन्न builders से दिनांक 31.3.17 को वसूली हेतु शेष बकाया Conservancy tax
2	विज्ञापन से सम्बन्धित दिनांक 31.3.17 को वसूली हेतु शेष बकाया राशि

3	तहबाजारी से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख
4	Mohan Mekar brewery से दिनांक 31.3.17 को वसूली हेतु बकाया concervancy tax की राशि

46 **लघु आपत्ति विवरणीः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

47 **निष्कर्षः–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)(15)(II) 4/73 खण्ड–6–5203–5204 दिनांक 02.08. 2018, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

फोन नं0—0177—2620881

परिशिष्ट "क"   पैरा—1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद सोलन के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट निर्णीत/अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थितिः—

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1972 से 3/1973

1	पैरा—9	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1973 से 3/1975

1	पैरा—11 (डी)	अनिर्णीत
2	पैरा—12 (एच)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1976

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—12 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा—16	अनिर्णीत
4	पैरा—26 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा—26 (4)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1962

1	पैरा—17 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा—18 (बी) (डी)	अनिर्णीत
3	पैरा—20	अनिर्णीत
4	पैरा—21 (8)	अनिर्णीत
5	पैरा—21 (9)	अनिर्णीत
6	पैरा—21 (14)	अनिर्णीत
7	पैरा—21 (17)	अनिर्णीत
8	पैरा—21 (19)	अनिर्णीत
9	पैरा—21 (25)	अनिर्णीत

10	पैरा–29	अनिर्णीत
11	पैरा–31 (डी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1983

1	पैरा–18 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–18 (एफ)	अनिर्णीत
3	पैरा–19	अनिर्णीत
4	पैरा–22	अनिर्णीत
5	पैरा–23	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1984

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–13	अनिर्णीत
4	पैरा–14	अनिर्णीत
5	पैरा–15	अनिर्णीत
6	पैरा–17	अनिर्णीत
7	पैरा–20	अनिर्णीत
8	पैरा–21	अनिर्णीत
9	पैरा–22	अनिर्णीत
10	पैरा–24	अनिर्णीत
11	पैरा–25	अनिर्णीत
12	पैरा–26	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत

5	पैरा—13 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा—14	अनिर्णीत
7	पैरा—15	अनिर्णीत
8	पैरा—16	अनिर्णीत
9	पैरा—17	अनिर्णीत
10	पैरा—18	अनिर्णीत
11	पैरा—19	अनिर्णीत
12	पैरा—20	अनिर्णीत
13	पैरा—21	अनिर्णीत
14	पैरा—22	अनिर्णीत
15	पैरा—23	अनिर्णीत
16	पैरा—24	अनिर्णीत
17	पैरा—25	अनिर्णीत
18	पैरा—26	अनिर्णीत
19	पैरा—27	अनिर्णीत
20	पैरा—28	अनिर्णीत
21	पैरा—29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1987

1	पैरा—3 (ए) (21) (3)	अनिर्णीत
2	पैरा—3 (ए) (21) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा—5	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा—7	अनिर्णीत
6	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा—8 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा—8 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा—8 (5)	अनिर्णीत

11	पैरा—9	अनिर्णीत
12	पैरा—10 (11)	अनिर्णीत
13	पैरा—10 (12)	अनिर्णीत
14	पैरा—10(13)	अनिर्णीत
15	पैरा—10 (14)	अनिर्णीत
16	पैरा—10 (15)	अनिर्णीत
17	पैरा—10 (16)	अनिर्णीत
18	पैरा—10 (17)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (डी)	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा—9	अनिर्णीत
6	पैरा—15	अनिर्णीत
7	पैरा—17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—19	अनिर्णीत
10	पैरा—20	अनिर्णीत
11	पैरा—21	अनिर्णीत
12	पैरा—22 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा—22 (बी)	अनिर्णीत
14	पैरा—22 (सी)	अनिर्णीत
15	पैरा—23 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा—23 (2)	अनिर्णीत
17	पैरा—24 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा—24 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा—24 (सी)	अनिर्णीत

20	पैरा—24 (डी)	अनिर्णीत
21	पैरा—24 (ई)	अनिर्णीत
22	पैरा—24 (एफ)	अनिर्णीत
23	पैरा—25	अनिर्णीत
24	पैरा—26 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा—26 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—27	अनिर्णीत
27	पैरा—28	अनिर्णीत
28	पैरा—29	अनिर्णीत
29	पैरा—30 (ए)	अनिर्णीत
30	पैरा—30 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा—31 (ए)	अनिर्णीत
32	पैरा—31 (बी)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1990

1	पैरा—5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (र्सी)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (ई) (1 से 22)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा—6 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा—6 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा—6 (ई)	अनिर्णीत
11	पैरा—6 (एफ)	अनिर्णीत
12	पैरा—6 (जी)	अनिर्णीत
13	पैरा—6 (एच)	अनिर्णीत
14	पैरा—7 (ए)	अनिर्णीत

15	पैरा—7 (बी)	अनिर्णीत
16	पैरा—7 (सी)	अनिर्णीत
17	पैरा—8 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा—8 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा—9 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा—9 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा—9 (सी)	अनिर्णीत
22	पैरा—9 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा—10 (ए)	अनिर्णीत
24	पैरा—10 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा—10 (सी)	अनिर्णीत
26	पैरा—10 (डी)	अनिर्णीत
27	पैरा—10 (ई) (1)	अनिर्णीत
28	पैरा—10 (ई) (2)	अनिर्णीत
29	पैरा—10 (ई) (3)	अनिर्णीत
30	पैरा—11	अनिर्णीत
31	पैरा—12	अनिर्णीत
32	पैरा—13	अनिर्णीत
33	पैरा—14 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा—14 (2) (ए)	अनिर्णीत
35	पैरा—14 (2) (बी)	अनिर्णीत
36	पैरा—14 (2) (सी)	अनिर्णीत
37	पैरा—14 (2) (डी)	अनिर्णीत
38	पैरा—14 (2) (ई)	अनिर्णीत
39	पैरा—14 (2) (एफ)	अनिर्णीत
40	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
41	पैरा—15 (सी)	अनिर्णीत
42	पैरा—15 (डी)	अनिर्णीत

43	पैरा–15 (ई)	अनिर्णीत	
44	पैरा–16	अनिर्णीत	
45	पैरा–17	अनिर्णीत	
46	पैरा–18	अनिर्णीत	
47	पैरा–19	अनिर्णीत	
48	पैरा–20	अनिर्णीत	
49	पैरा–21 (1)	अनिर्णीत	
50	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत	
51	पैरा–22	अनिर्णीत	
52	पैरा–23	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इस प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1994

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (क) व (ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95 में पहले से निर्णीत दर्शाया गया है)
3	पैरा–7 (क से च)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	निर्णीत	(अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95 में पहले से निर्णीत दर्शाया गया है)
7	पैरा–11	निर्णीत	(₹287 की वसूली सम्बन्धित से रसीद संख्या 812/61 दिनांक 5.3.18 द्वारा कर ली गई)
8	पैरा–12	आंशिक निर्णीत	(कुल वसूली की ₹1716 में से ₹925 की वसूली जो कर्मचन्द सफाई निरीक्षक से होनी थी रसीद संख्या 812/61 दिनांक 5.3.18 को

			द्वारा कर ली गई जो बकाया वसूली योग्य राशि है उसकी वसूली शीघ्र की जाये।)
9	पैरा—13 (क)	निर्णीत	(अवैध वार्षिक वेतन वृद्धि की ₹8863 की वसूली उनके वेतन माह 3/94 से 2/96 तक के वेतन से कर ली गई है जैसा कि सम्बन्धित कर्मचारी की निजि नस्ति में लिखा गया था, का सत्यापन करते हुये।)
10	पैरा—13 (ख)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये उत्तर व स्पष्टीकरण की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
11	पैरा—14	अनिर्णीत	
12	पैरा—15	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये उत्तर एवं माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 के आदेशों के आधार पर)
13	पैरा—16	अनिर्णीत	
14	पैरा—17	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उतर के आधार पर)
15	पैरा—18	अनिर्णीत	
16	पैरा—19	अनिर्णीत	
17	पैरा—20	अनिर्णीत	
18	पैरा—21	अनिर्णीत	
19	पैरा—22	अनिर्णीत	
20	पैरा—23	अनिर्णीत	
21	पैरा—24	अनिर्णीत	
22	पैरा—25	अनिर्णीत	
23	पैरा—26	अनिर्णीत	
24	पैरा—27	अनिर्णीत	
25	पैरा—28	अनिर्णीत	
26	पैरा—29	अनिर्णीत	

27	पैरा—30	अनिर्णीत
28	पैरा—31	अनिर्णीत
29	पैरा—32 (1 से 12)	अनिर्णीत
30	पैरा—33	अनिर्णीत
31	पैरा—34	अनिर्णीत
32	पैरा—35	अनिर्णीत
33	पैरा—36 (1 से 5)	अनिर्णीत
34	पैरा—36 (क से छ)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1996

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इस प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही की समीक्षा अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः समस्त अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही अब करके वांछित समीक्षा अंकेक्षण से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999

1	पैरा—3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा—4	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (ख) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (ख) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा—5 (ग) (i)	अनिर्णीत
7	पैरा—5 (ग) (ii)	अनिर्णीत
8	पैरा—5 (ग) (iii)	अनिर्णीत
9	पैरा—5 (घ) (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा—5 (घ) (iii)	अनिर्णीत
11	पैरा—5 (छ)	अनिर्णीत
12	पैरा—5 (ज)	अनिर्णीत
13	पैरा—5 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा—7 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा—7 (ग)	अनिर्णीत

16	पैरा–7 (च) (ii)	अनिर्णीत	
17	पैरा–7 (च) (iii)	अनिर्णीत	
18	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	
19	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये उत्तर/स्पष्टीकरण के आधार पर)
21	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	
23	पैरा–11 (ज)	अनिर्णीत	
24	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत	
25	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा–15 (ङ)	अनिर्णीत	
27	पैरा–16	अनिर्णीत	
28	पैरा–17	अनिर्णीत	
29	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत	
30	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत	
32	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत	
33	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा–19 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
35	पैरा–19 (ङ)	अनिर्णीत	
36	पैरा–19 (ज) (i से iii)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
37	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
38	पैरा–20 (ग) से (ञ)	अनिर्णीत	
39	पैरा–21 (क) (1 व 2)	अनिर्णीत	
40	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा–24	अनिर्णीत	
42	पैरा–25 (ए से जैड)	आंशिक निर्णीत	i) पैरा–25 (ए से जैड) के पैरा संख्या 25

			(एच) (iii)25 (J)(3) 25(K)(iv)25 (M) (iv) 25 (O)(iii), 25 (P)(iv) 25 (Q)(V), 25 ®(V), 25 (W)(i), 25 (y)(2) उप निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22. 8.2013 के पत्र संख्या 1–548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–5648, दिनांक 30.8.2013 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया। ii) पैरा संख्या 25 (डी) (iii) निर्णीत ₹894 रसीद संख्या 438 / 85, दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए। iii) पैरा संख्या 25 (जी) (ii) निर्णीत ₹947 रसीद संख्या 438 / 86 दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए। iv) पैरा संख्या 25 (जैड) (iv) निर्णीत ₹1539 रसीद संख्या 438 / 87 दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए।
43	पैरा–25 (एए से आई आई)	आंशिक निर्णीत	(पैरा–25 (एए से आईआई) के पैरा संख्या 25 (एए) (4) 25 (एए)(6) 25 (एए)(7), 25 (बीबी)(ii), 25 (सी सी (iii), 25 (ई ई) (iii) 25 (जीजी) (iii) 25 (एचएच) (5) उप निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.2013 के पत्र संख्या 1– 548 / 2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–5648, दिनांक 30.8.2013 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया
44	पैरा–25 (क–i) से (iv)	अनिर्णीत	
45	पैरा–26 (ङ)(V) तथा (vi)	अनिर्णीत	
46	पैरा–26 (च) (ii)	अनिर्णीत	

47	पैरा—26 (च) (iii) से (v)	अनिर्णीत
48	पैरा—27 (क) (i) से (iv)	अनिर्णीत
49	पैरा—27 (ख) (i) से (iii)	अनिर्णीत
50	पैरा—27 (ग) (i) से (iii)	अनिर्णीत
51	पैरा—27 (घ) (1 से 17)	अनिर्णीत
52	पैरा—27 (ङ) (i) से (iii)	अनिर्णीत
53	पैरा—27 (च) (i) से (viii)	अनिर्णीत
54	पैरा—27 (छ) (i) से (iii)	अनिर्णीत
55	पैरा—27 (ज) (2 से 4)	अनिर्णीत
56	पैरा—27 (झ) (i) से (iv)	अनिर्णीत
57	पैरा—27 (ञ) से (ज्ञ)	अनिर्णीत
58	पैरा—27 (क, क) से (ग, ग)	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण 4/1993 से 3/1999 तक की आय का विस्तृत अंकेक्षण प्रतिवेदन

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा—6 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा—7	अनिर्णीत
7	पैरा—8	अनिर्णीत
8	पैरा—9	अनिर्णीत
9	पैरा—10	अनिर्णीत
10	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा—11 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा—12	अनिर्णीत
14	पैरा—13	अनिर्णीत
15	पैरा—14 (क)	अनिर्णीत

16	पैरा—14 (ख)	अनिर्णीत
17	पैरा—14 (ग)	अनिर्णीत
18	पैरा—14 (घ)	अनिर्णीत
19	पैरा—15	अनिर्णीत
20	पैरा—16	अनिर्णीत
21	पैरा—17	अनिर्णीत
22	पैरा—18	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2002

1	पैरा—3	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (च)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (क) (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (ख) से च)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा—8 (क)	अनिर्णीत
8	पैरा—10 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा—10 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा—11 (घ)	अनिर्णीत
12	पैरा—11 (ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा—11 (च)	अनिर्णीत
14	पैरा—12 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा—12 (घ) तथा (ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा—12 (ज)	अनिर्णीत
17	पैरा—12 (ञ)	अनिर्णीत
18	पैरा—12 (प)	अनिर्णीत
19	पैरा—12 (फ)	अनिर्णीत
20	पैरा—12 (ब से म) तक	अनिर्णीत

21	पैरा–12 (द) तथा (ध)	अनिर्णीत	
22	पैरा–14	अनिर्णीत	
23	पैरा–15 (1 से 16)	अनिर्णीत	
24	पैरा–15 (क से ज्ञ)	आंशिक निर्णीत	i) पैंरा–15 (क से ज्ञ) के पैरा संख्या 15 (क) (2) (3), 15 (ख) (2) (3), 15 (च) (3) व (4), 15 (छ) (2) (3), 15 (झ) (3), 15 (ञ) (4) 15 (प) (2), 15 (फ) (1, 2, 3), 15 (व) (2)(3) 15 (ज) 15 (द) (4)15 (घ) (4), 15 (ट) (2), 15 (र) (3) 15 (ह)15 (ज) (i) उप निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.2013 के पत्र संख्या 1–548/2011–फन (एल0ए0) खण्ड–1–5648, दिनांक 30.8.2013 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया। ii) पैरा संख्या 15 (क्ष) निर्णीत ₹1539 रसीद संख्या 438/88, दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए।
25	पैरा–15 (क,क से प,प)	अनिर्णीत	
26	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा–17 (ग) से (ञ) तक	अनिर्णीत	
28	पैरा–18	अनिर्णीत	
29	पैरा–19 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा–19 (ङ) तथा (च)	अनिर्णीत	
31	पैरा–20	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा–2 (ङ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–2 (च)	अनिर्णीत	
3	पैरा–2 (छ)	अनिर्णीत	

4	पैरा–2 (ज)	अनिर्णीत
5	पैरा–3 (क) (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–3 (क) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–3 (क) (3)	अनिर्णीत
8	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (ख) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (ख) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (ख) (3)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (ख) (4)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (ख) (5)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (ख) (6)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (ङ) (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (ङ) (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (ङ) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (ङ) (4)	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
23	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत
24	पैरा–4 (ज)	अनिर्णीत
25	पैरा–4 (झ)	अनिर्णीत
26	पैरा–4 (ञ)	अनिर्णीत
27	पैरा–4 (ट)	अनिर्णीत
28	पैरा–4 (ठ)	अनिर्णीत
29	पैरा–4 (ड)	अनिर्णीत
30	पैरा–4 (ढ)	अनिर्णीत
31	पैरा–4 (ण)	अनिर्णीत

32	पैरा–4 (न) (ध) (ण)	अनिर्णीत	
33	पैरा–4 (त)	आंशिक निर्णीत	(₹36248 में से मार्च 2010 तक ₹7070 की वसूली सम्बन्धित महिलाओं से की गई थी तथा एक महिला से ₹100 प्रतिमाह की दर से वसूली जारी है)
34	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
36	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत	
37	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत	
38	पैरा–5 (छ)	आंशिक निर्णीत	(₹5222 (₹2741+₹2481) रसीद संख्या 438/83–84 दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए)
39	पैरा–6 (क) (1)	अनिर्णीत	
40	पैरा–6 (क) (2)	अनिर्णीत	
41	पैरा–6 (क) (3)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6 (क) (4)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6 (क) (5)	अनिर्णीत	
44	पैरा–6 (क) (6)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6 (ख)	आंशिक निर्णीत	(क्योंकि ₹43125 में से ₹39763 की वसूली की जा चुकी है। शेष ₹3362 की वसूली शीघ्र की जाए)
46	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
48	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत	
49	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत	
50	पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6 (ज)	अनिर्णीत	

52	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (ञ)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (ट)	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत
56	पैरा–6 (ड)	अनिर्णीत
57	पैरा–7 (1) से (2)	अनिर्णीत
58	पैरा–7 (1) (क)	अनिर्णीत
59	पैरा–7 (1) (ख)	अनिर्णीत
60	पैरा–7 (1) (ग)	अनिर्णीत
61	पैरा–7 (1) (घ)	अनिर्णीत
62	पैरा–7 (1) (ङ)	अनिर्णीत
63	पैरा–7 (1) (च)	अनिर्णीत
64	पैरा–7 (1) (छ) (i)	अनिर्णीत
65	पैरा–7 (1) (छ) (ii)	अनिर्णीत
66	पैरा–7 (1) (छ) (iii)	अनिर्णीत
67	पैरा–7 (1) (छ) (iv)	अनिर्णीत
68	पैरा–7 (1) (ज)	अनिर्णीत
69	पैरा–7 (1) (झ)	अनिर्णीत
70	पैरा–7 (1) (ञ)	अनिर्णीत
71	पैरा–7 (1) (ट) (1 से 8)	अनिर्णीत
72	पैरा–7 (1) (ठ) (I to X)	अनिर्णीत
73	पैरा–7 (1) (ङ) (1 से 6)	अनिर्णीत
74	पैरा–7 (1) (ढ) (1 से 5)	अनिर्णीत
75	पैरा–7 (1) (ण) (I से V)	अनिर्णीत
76	पैरा–7 (1) (थ)	अनिर्णीत
77	पैरा–7 (1) (द) (i से iii)	अनिर्णीत
78	पैरा–7 (1) (ध) (i से ii)	अनिर्णीत
79	पैरा–7 (1) (न) (i से iii)	अनिर्णीत

80	पैरा–7 (1) (प)	निर्णीत	(दिए गए उत्तर के आधार पर)
81	पैरा–7 (1) (फ)	अनिर्णीत	
82	पैरा–7 (1) (i तथा ii)	आंशिक निर्णीत	(आंशिक रूप से निर्णीत ₹2824 रसीद संख्या 438 (88) दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए (आशिक रूप से निर्णीत पैरा ंख्या 7 (1) (ब) (i) निर्णीत)
83	पैरा–7(1) (भ) (i तथा iv)	अनिर्णीत	
84	पैरा–7(1) (म) (i तथा iv)	अनिर्णीत	
85	पैरा–7 (1) (य)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
86	पैरा–7 (1) (र)	अनिर्णीत	
87	पैरा–7 (1) (ल)	अनिर्णीत	
88	पैरा–7 (1) (व) (i तथा iii)	अनिर्णीत	
89	पैरा–7 (1) (श) (1 से 5)	अनिर्णीत	
90	पैरा–7 (1) (ष)	अनिर्णीत	
91	पैरा–7 (1) (स)	अनिर्णीत	
92	पैरा–7 (1) (ह)	अनिर्णीत	
93	पैरा–7 (1) (क्ष)	अनिर्णीत	
94	पैरा–7 (1) (त्र)	अनिर्णीत	
95	पैरा–7 (1) (ज्ञ) (i तथा ii)	अनिर्णीत	
96	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत	
97	पैरा–8 (ii)	अनिर्णीत	
98	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत	
99	पैरा–8 (2) (ख)	अनिर्णीत	
100	पैरा–8 (2) (ग)	अनिर्णीत	
101	पैरा–8 (2) (घ)	अनिर्णीत	
102	पैरा–8 (2) (ङ)	अनिर्णीत	

103	पैरा–8 (2) (च)	अनिर्णीत	
104	पैरा–8 (2) (छ)	अनिर्णीत	

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–2 (क)	अनिर्णीत	
2	पैरा–2 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–2 (ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा–2 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–2 (ङ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–3 (1)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
7	पैरा–3 (2)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
8	पैरा–3 (3)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
9	पैरा–3 (4)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
10	पैरा–3 (5)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
11	पैरा–3 (6)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
12	पैरा–4 (क) (1)	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर व अभिलेख की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
13	पैरा–4 (क) (2)	अनिर्णीत	
14	पैरा–4 (क) (3)	अनिर्णीत	
15	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	

17	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–4 (च)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व अभिलेख की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
20	पैरा–4 (छ) (1)	अनिर्णीत	
21	पैरा–4 (छ) (2)	निर्णीत	(रसीद संख्या 805/29 व 805/30 दिनांक 7.3.18 की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
22	पैरा–4 (ज)	अनिर्णीत	
23	पैरा–4 (झ)	अनिर्णीत	
24	पैरा–4 (ञ)	अनिर्णीत	
25	पैरा–4 (ट)	अनिर्णीत	
26	पैरा–4 (ठ)	अनिर्णीत	
27	पैरा–4 (ड)	अनिर्णीत	
28	पैरा–4 (ढ) (1)	अनिर्णीत	
29	पैरा–4 (ढ) (3)	अनिर्णीत	
30	पैरा–4 (ढ) (4)	अनिर्णीत	
31	पैरा–4 (ढ) (5)	अनिर्णीत	
32	पैरा–4 (ढ) (6)	अनिर्णीत	
33	पैरा–4 (ढ) (7)	अनिर्णीत	
34	पैरा–4 (ण)	अनिर्णीत	
35	पैरा–4 (त)	अनिर्णीत	
36	पैरा–4 (थ)	अनिर्णीत	
37	पैरा–4 (द)	निर्णीत	(पैरा निर्णीत इस आशय से किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/11 के पैरा 6 (ख) में नवीनतम स्थिति 3/11 तक ले ली गई थी)
38	पैरा–4 (ध)	निर्णीत	(पैरा निर्णीत इस आशय से किया गया कि

			अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/11 के पैरा 6 (ख) में नवीनतम स्थिति 3/11 तक ले ली गई थी)
39	पैरा–4 (न)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
40	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(वर्ष 2010–11 में निदेशक द्वारा बजट में अनुमोदन उपरान्त व दिये गये उत्तर व अभिलेख की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
41	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा–5 (ङ)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व अभिलेख की पुष्टि उपरान्त)
43	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत	
44	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत	
46	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	
48	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
49	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत	
50	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6 (छ) (1)	अनिर्णीत	
52	पैरा–6 (छ) (2)	अनिर्णीत	
53	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	
54	पैरा–6 (ञ)	अनिर्णीत	
55	पैरा–6 (ट)	अनिर्णीत	
56	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत	
57	पैरा–6 (ड) (1)	अनिर्णीत	
58	पैरा–6 (ड) (2)	अनिर्णीत	
59	पैरा–6 (ड) (3)	अनिर्णीत	
60	पैरा–6 (ढ)	अनिर्णीत	

61	पैरा–6 (ण)	अनिर्णीत
62	पैरा–6 (त) (1)	अनिर्णीत
63	पैरा–6 (त) (2)	अनिर्णीत
64	पैरा–6 (त) (3)	अनिर्णीत
65	पैरा–6 (थ) (1)	अनिर्णीत
66	पैरा–6 (थ) (2)	अनिर्णीत
67	पैरा–6 (थ) (3)	अनिर्णीत
68	पैरा–6 (द)	अनिर्णीत
69	पैरा–6 (ध)	अनिर्णीत
70	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
71	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
72	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
73	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
74	पैरा–7 (ङ) (1)	अनिर्णीत
75	पैरा–7 (ङ) (2)	अनिर्णीत
76	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत
77	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
78	पैरा–7 (ज) (1)	अनिर्णीत
79	पैरा–7 (ज) (2)	अनिर्णीत
80	पैरा–7 (ज) (3)	अनिर्णीत
81	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत
82	पैरा–7 (ण)	अनिर्णीत
83	पैरा–7 (त)	अनिर्णीत
84	पैरा–7 (थ)	अनिर्णीत
85	पैरा–7 (द)	अनिर्णीत
86	पैरा–7 (ध)	अनिर्णीत
87	पैरा–7 (न)	अनिर्णीत
88	पैरा–7 (प)	अनिर्णीत

89	पैरा–7 (फ)	अनिर्णीत	
90	पैरा–7 (ब)	अनिर्णीत	
91	पैरा–7 (भ)	अनिर्णीत	
92	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
93	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
94	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत	
95	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत	
96	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत	
97	पैरा–9	अनिर्णीत	
98	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
99	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
100	पैरा–11	अनिर्णीत	
101	पैरा–12	अनिर्णीत	
102	पैरा–13	अनिर्णीत	
(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011			
1	पैरा–4 (ख)	आंशिक निर्णीत	(आंशिक रूप से निर्णीत (केवल एफडीआर) संख्या पीएस 1820 ₹25 पर प्राप्त ब्याज की पुष्टि नहीं करवाई गई)
2	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत	
6	पैरा–4 (छ) (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा–4 (छ) (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा–5 (ख) (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–5 (ख) (2)	अनिर्णीत	

12	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (ञ) (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (ञ) (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–6 (ट)	अनिर्णीत
21	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (ड)	अनिर्णीत
23	पैरा–6 (ढ)	अनिर्णीत
24	पैरा–6 (त)	अनिर्णीत
25	पैरा–6 (थ) (1)	अनिर्णीत
26	पैरा–6 (थ) (2)	अनिर्णीत
27	पैरा–6 (थ) (3)	अनिर्णीत
28	पैरा–6 (द)	अनिर्णीत
29	पैरा–6 (ध)	अनिर्णीत
30	पैरा–6 (न)	अनिर्णीत
31	पैरा–6 (प)	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (फ)	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (म)	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (य)	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (र)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (ल) (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (ल) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (व)	अनिर्णीत
39	पैरा–7 (क)	निर्णीत (कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर के

			आधार पर)
40	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	
41	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	
42	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	
43	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	
44	पैरा–7 (ञ)	अनिर्णीत	
45	पैरा–7 (ट)	निर्णीत	(कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर)
46	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
47	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
48	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत	
49	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत	
50	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत	
51	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत	
52	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत	
53	पैरा–8 (झ)	अनिर्णीत	
54	पैरा–8 (ञ)	अनिर्णीत	
55	पैरा–8 (ट) तथा (ठ)	अनिर्णीत	
56	पैरा–8 (ड)	अनिर्णीत	
57	पैरा–8 (ढ)	अनिर्णीत	
58	पैरा–8 (ण)	अनिर्णीत	
59	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत	
60	पैरा–8 (थ)	अनिर्णीत	
61	पैरा–8 (द)	अनिर्णीत	
62	पैरा–8 (ध)	अनिर्णीत	
63	पैरा–8 (न)	अनिर्णीत	
64	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
65	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	

66	पैरा—9 (ग) (i)	अनिर्णीत	
67	पैरा—9 (ग) (ii)	अनिर्णीत	
68	पैरा—9 (घ)	अनिर्णीत	
69	पैरा—9 (ङ)	अनिर्णीत	
70	पैरा—9 (च)	अनिर्णीत	
71	पैरा—9 (छ)	अनिर्णीत	
72	पैरा—9 (ज)	अनिर्णीत	
73	पैरा—9 (झ) (i) व (ii)	अनिर्णीत	
74	पैरा—9 (ण)	अनिर्णीत	
75	पैरा—9 (त)	अनिर्णीत	
76	पैरा—10 (क)	अनिर्णीत	
77	पैरा—10 (ख) (i)	अनिर्णीत	
78	पैरा—10 (ख) (ii)	अनिर्णीत	
79	पैरा—10 (ख) (iii)	अनिर्णीत	
80	पैरा—11 (क)	अनिर्णीत	

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा—4 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा—5 (क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पुनः प्रारूपित)
	पैरा—5 (क) (1)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर एवं नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 में पुनः प्रारूपित)
	पैरा—5 (क) (2)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर एवं नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 में पुन प्रारूपित)
3	पैरा—6 (क)	अनिर्णीत	
	पैरा—6 (ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा—11 में पुन प्रारूपित)

	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 के पैरा–31 में पुन प्रारूपित)
	पैरा–6 (घ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 पर पैरा–32 में पुन प्रारूपित)
	पैरा–6 (च)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 पर पैरा–12 में पुन प्रारूपित)
	पैरा–6 (छ)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/15 से 3/17 पर पैरा–13 में पुन प्रारूपित)
4	पैरा–7	अनिर्णीत	
5	पैरा–8	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (क) (3) (4)	अनिर्णीत	
7	पैरा–9 (ख) (1) (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	अनिर्णीत	
9	पैरा–15	अनिर्णीत	
10	पैरा–17	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
11	पैरा–20	अनिर्णीत	
12	पैरा–21	अनिर्णीत	
13	पैरा–24	अनिर्णीत	
14	पैरा–25	अनिर्णीत	
15	पैरा–26	अनिर्णीत	
16	पैरा–28	अनिर्णीत	
17	पैरा–29	अनिर्णीत	
18	पैरा–30	अनिर्णीत	
19	पैरा–35	अनिर्णीत	
20	पैरा–36	अनिर्णीत	

21	पैरा—38	अनिर्णीत	
22	पैरा—39	अनिर्णीत	
23	पैरा—40	अनिर्णीत	
24	पैरा—42	अनिर्णीत	
25	पैरा—43	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
26	पैरा—44	अनिर्णीत	
27	पैरा—45	अनिर्णीत	
28	पैरा—47	अनिर्णीत	
29	पैरा—48	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
30	पैरा—49	अनिर्णीत	
31	पैरा—50	अनिर्णीत	
32	पैरा—51	अनिर्णीत	
33	पैरा—52	अनिर्णीत	
34	पैरा—53	अनिर्णीत	
35	पैरा—54	अनिर्णीत	
36	पैरा—58	अनिर्णीत	
37	पैरा—59	अनिर्णीत	
38	पैरा—60	अनिर्णीत	
39	पैरा—61	अनिर्णीत	
40	पैरा—62	अनिर्णीत	
41	पैरा—64	अनिर्णीत	
42	पैरा—65	अनिर्णीत	
43	पैरा—67	निर्णीत	(दिये गये उत्तर के आधार पर)
44	पैरा—68	अनिर्णीत	
45	पैरा—70	अनिर्णीत	
46	पैरा—71	अनिर्णीत	
47	पैरा—72	अनिर्णीत	
48	पैरा—73	अनिर्णीत	

49	पैरा—74	अनिर्णीत
50	पैरा—75	अनिर्णीत
51	पैरा—76	अनिर्णीत
52	पैरा—77	अनिर्णीत
53	पैरा—78	अनिर्णीत
54	पैरा—79	अनिर्णीत
55	पैरा—80	अनिर्णीत
56	पैरा—81	अनिर्णीत
57	पैरा—82	अनिर्णीत
58	पैरा—83	अनिर्णीत
59	पैरा—84	अनिर्णीत
60	पैरा—85	अनिर्णीत
61	पैरा—86	अनिर्णीत
62	पैरा—87	अनिर्णीत
63	पैरा—88	अनिर्णीत
64	पैरा—90	अनिर्णीत
65	पैरा—91	अनिर्णीत
66	पैरा—92	अनिर्णीत
67	पैरा—93	अनिर्णीत
68	पैरा—94	अनिर्णीत
69	पैरा—95	अनिर्णीत
70	पैरा—96	अनिर्णीत
71	पैरा—97	अनिर्णीत
72	पैरा—98	अनिर्णीत
73	पैरा—99	अनिर्णीत
74	पैरा—100	अनिर्णीत
75	पैरा—101	अनिर्णीत
76	पैरा—102	अनिर्णीत

77	पैरा—103	अनिर्णीत	
78	पैरा—104	अनिर्णीत	
79	पैरा—105	अनिर्णीत	
80	पैरा—106	अनिर्णीत	
81	पैरा—107	अनिर्णीत	
82	पैरा—108	अनिर्णीत	
83	पैरा—109	अनिर्णीत	
84	पैरा—110	अनिर्णीत	
85	पैरा—111	अनिर्णीत	
86	पैरा—112	अनिर्णीत	
87	पैरा—113	अनिर्णीत	
88	पैरा—114	अनिर्णीत	
89	पैरा—115	अनिर्णीत	
90	पैरा—116	अनिर्णीत	
91	पैरा—117	अनिर्णीत	
92	पैरा—118	अनिर्णीत	

(य) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा—2	निर्णीत	
2	पैरा—3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया)
3	पैरा—4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित)
4	पैरा—4 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित)
5	पैरा—4 (2)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित)
6	पैरा—4 (3) (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा—4 (3) (2)	अनिर्णीत	

8	पैरा—4 (3) (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा—4 (3) (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा—4 (3) (5)	अनिर्णीत	
11	पैरा—4 (3) (6)	अनिर्णीत	
12	पैरा—4 (3) (7)	अनिर्णीत	
13	पैरा—4 (3) (8)	अनिर्णीत	
14	पैरा—4 (3) (9)	अनिर्णीत	
15	पैरा—5	अनिर्णीत	
16	पैरा—6	अनिर्णीत	
17	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत	
18	पैरा—6 (1) (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा—6 (1) (2)	अनिर्णीत	
20	पैरा—6 (1) (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा—6 (1) (4)	अनिर्णीत	
22	पैरा—6 (1) (5)	अनिर्णीत	
23	पैरा—6 (1) (6)	अनिर्णीत	
24	पैरा—6 (1) (7)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत पैरा नहीं है)
25	पैरा—6 (1) (8)	अनिर्णीत	
26	पैरा—6 (1) (9)	अनिर्णीत	
27	पैरा—7 व 7 (1)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित)
28	पैरा—8	अनिर्णीत	
29	पैरा—9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित)
30	पैरा—9 (1) (2)	अनिर्णीत	
31	पैरा—10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित)
32	पैरा—11	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में

			पुन प्रारूपित)
33	पैरा—12	अनिर्णीत	
34	पैरा—13	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन प्रारूपित)
35	पैरा—14	अनिर्णीत	
36	पैरा—15	अनिर्णीत	
37	पैरा—16	अनिर्णीत	
38	पैरा—17	अनिर्णीत	
39	पैरा—18	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई)
40	पैरा—19 (क) व (ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा—20	अनिर्णीत	
42	पैरा—21	अनिर्णीत	
43	पैरा—22	अनिर्णीत	
44	पैरा—23	निर्णीत	(नगर परिषद द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर)
45	पैरा—24	अनिर्णीत	
46	पैरा—25	अनिर्णीत	
47	पैरा—25.1 से 25.5	अनिर्णीत	
48	पैरा—26	अनिर्णीत	
49	पैरा—26.1	अनिर्णीत	
50	पैरा—27	अनिर्णीत	
51	पैरा—28	अनिर्णीत	
52	पैरा—29	अनिर्णीत	
53	पैरा—30	अनिर्णीत	
54	पैरा—30.1 से 30.4	अनिर्णीत	
55	पैरा—31	अनिर्णीत	

56	पैरा—32	अनिर्णीत
57	पैरा—33	अनिर्णीत
58	पैरा—34	अनिर्णीत
59	पैरा—35	अनिर्णीत
60	पैरा—36	अनिर्णीत
61	पैरा—37	अनिर्णीत
62	पैरा—38	अनिर्णीत
63	पैरा—39	अनिर्णीत
64	पैरा—40	अनिर्णीत
65	पैरा—41	अनिर्णीत
66	पैरा—42	अनिर्णीत
67	पैरा—43	अनिर्णीत
68	पैरा—44	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरो का सार

दिनांक 1.4.15 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	750
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	43
(—) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	52
दिनांक 31.3.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	741